

**THE ASSAM STATE LEGISLATURE
(DELEGATION OF POWERS) BILL,
1980**

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (GANI ZAIL SINGH): Sir, I beg to move:

"That the Bill to confer on the President the power of the Legislature of the State of Assam to make laws as passed by the Lok Sabha be taken into consideration."

[The Vice-Chairman (Shri Sawai-singh Sisodia) in the Chair].

Sir, the House is aware that in the Proclamation dated the 12th December, 1979, made by the President under article 356 of the Constitution in relation to the State of Assam it is provided *inter alia* that the powers of the State Legislature shall be exercised by or under the authority of Parliament. The Bill seeks to confer on the President the power of the State Legislature to make laws in respect of the State. It has been the normal practice to undertake such legislation in relation to the State under the President's Rule, and the present Bill is on the usual lines.

Sir, provision has been made in the Bill for the constitution of a Consultative Committee consisting of 45 Members of Parliament in this regard. Provision has also been made to empower Parliament to direct modifications in the laws made by the President, if considered necessary.

Sir, I request the Hon. House to accept the legislative proposal before it.

The question was proposed.

SHRIMATI MARGARET ALVA (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise with a sense of concern because this Bill again is very much along the lines of the previous Bill which has just been passed by such an overwhelming support of the ruling party. This, I believe, is another

step towards confrontation in Assam, a step which smacks of undemocratic methods, which, I believe, is not going to help solve any problem in the North-Eastern Region. You have an elected State Assembly in Assam. You have not dissolved the Assembly. It has been kept in animated suspension for the simple reason that you don't have a clear majority there. You don't want to dissolve that Assembly because if you dissolve it and impose President's Rule, you have to face the electorate very soon and in the face of this agitation and your mishandling, you know what the result will be. You don't want to dissolve the Assembly and you will not allow the Assembly to function normally. In the process, you have brought this measure by which the Assembly will be kept in animated suspension, and the President will pass laws in order to run the State of Assam from Delhi. This, I believe, Sir, is an unacceptable proposition in any democratic set up. If you want to find a solution to the Assam problem, let the Assembly meet, let the people discuss the problem and let them suggest a solution which will be acceptable to the people of Assam. Even this you are not prepared for. I want to say very clearly today that the possibility of settling a problem of this kind by administrative jugglery has gone. You need a political solution to the problem in Assam and political solutions are not imposed at the whims and fancies of a Government which sits some thousands of miles away and fails to feel the pulse of the people of Assam today.

As far as this Bill is concerned, I specially speak about section 3. Here you say, "whether Parliament is in session or not, it makes no difference whether Parliament is in session or not the President can legislate", which means that you are removing the primary responsibility of Parliament to legislate and pass on this responsibility to the President, who is supposed to act on the advice of the Cabinet and the Prime Minister.

[Shrimati Maragaret Alva]

You have further provided that before enacting any Law, the President, whenever he considers it practicable to do so—he is not compelled to consult any committee—may consult a committee. You speak of a consultative committee to be consulted. But here you contradict yourself because this is very clear. It says, you may consult this committee, made up of so many members, if you think it practicable to do so, which means you are not bound to consult anybody. You can take a decision and you can impose it on the people of Assam through the measure by which the President can legislate.

Well, Mr. Vice-Chairman, Sir, there is no point in talking about these administrative matters. The real problem today, I believe, is the question of what is happening in Assam. A lot has been said today and even at the cost of sounding repetitive, I would have to focus attention on a few of these points. Sir, Assam is in turmoil. The whole of the North-Eastern region is. I believe, burning, and what is the solution? you are seeking to impose these measures by which you try to suppress a popular movement; and you believe that by passing some legislation from Delhi you can cut the grass from under the feet of this movement. Let me say it cannot work. Yes, it started as a students' movement but let us not forget that this students' movement has mass support in Assam today. You cannot ignore this fact. There is no doubt that, perhaps, the intelligentsia and the upper classes are in the leadership of this movement. But I would emphasise that the mass support which it has got cannot be ignored. I would ask, in all humility today from where do these students draw their inspiration, from where do they get their finances? Has the Central Government not yet been able to find out who is financing this movement? If after ten months of a movement like this . . .

SHRI KALFNATH RAI (Uttar Pradesh): The C.I.A.

SHRIMATI MARGARET ALVA: ...you have not been able to get to the root of it, what have you been doing? If it is the CIA, find out the sources through which the CIA money is coming and stop that channel. Are you incapable of doing that? You just say the CIA. If Chinese arms are coming, stop the Chinese arms from coming. Otherwise, we are incapable of administering the country. The demands of the people and the students spring from a sense of insecurity which they suffer from because they are being outnumbered by outsiders, who are sometimes called foreigners, sometimes infiltrators and sometimes by various other names. But the point is that in Assam the Assamese are now being outnumbered by non-Assamese. But let us see and let us realise that this is a human problem. As some one said, it is not a question of figures on a computer or on a balancesheet. Here are human beings. You cannot just shunt them out and throw them around, as if they were just pieces of some item to be distributed or divided or to be accumulated in other places. But let me say, Sir, that the first thing needed for the solution of this problem is the restoration of mutual confidence between the people of Assam and the Central Government, I would not say 'the Central Government', I would say, the rest of India. Unless and until this basic confidence is restored, no administrative solution can be found. (*Time bell rings*).

SHRI JAHARLAL BANERJEE (West Bengal); Sir, this is her maiden speech.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Sir, just two minutes. Sir, I may also point out that there is the economic element in the whole problem, that of very grave regional imbalances. There have been Congress Governments

before, there may have been other factors. But the point is that unemployment, industrial backwardness, lack of communications and lack of industrial development have certainly created problems where the local people feel that their problems have not been solved and the outsiders are coming and taking away the little fruits of their labour which they have put in over the years. I, therefore, feel that this aspect cannot be ignored any longer. While you talk of everything else. I wish the Government would come out with a massive plan for economic development and for heavy investments in that part of the country so that at least this sense of neglect can be removed.

Sir, it is a very sensitive area and a very strategic area, and, therefore, extra caution and care is called for. I read a statement made by the Prime Minister that this is basically a secessionist movement, I do not accept this fact. And the students of Assam themselves, the students who have put out advertisements regularly, have made it very clear that they are not for a secessionist movement. I cannot read out the whole thing, this advertisement has been put out in the local papers in Assam and they do say here very clearly in the last point: "We are not seeking to secede from India" and they speak about their acceptance of the Constitution and everything else. This is a public statement which appears regularly in the Assam papers. This is the students' statement. And, therefore, for us to blindly charge that this is antinational, they are this and they are that, I think, will only create a sense of crisis of confidence. I believe the root cause has to be found not by just levelling charges. We have to take note of what Mr. Kalp Nath Rai has just said 'CIA'. Many others have said many other things. It is true and it is an accepted fact that the Ambassador of United States has been paying very many visits to this region and recently he was stopped from going there. I also want to point out that when the President of United

States, Mr. Carter, came to India during the Janata rule, in the Central Hall of Parliament when he made that speech, we were all present there and he made one very significant offer. He said that his country was prepared to make very heavy allotment of aid for the development of the north-eastern region of this country. This is on record. Why was he so very interested suddenly in investing and aiding projects in the north-eastern region of this country, I would like to ask? Is it because that region is very backward? And then there was another move by which during the last year or so, certain forward areas in Laddakh and in certain other sensitive areas, were, for the first time, opened to foreign tourists. I raised it in this House as a special mention and I was told that the Government wanted to open our monasteries and cultural heritage centres to the world. In the process, I believe, we did expose ourselves to many other forces which have today added up to create whole situation in the north-eastern India.

Mr. Vice-Chairman, there is also this question of the Chinese moves or Tibet today, and very significant attempts made by them to win over the Tibetan population in this country by talking of coming to terms and compromises over the border, just to see that the atmosphere here is somehow or other eased as far as the Tibetan front is concerned. And this is a very strategic Chinese move which has been ignored by you. I, even at the risk of being shouted down, want to raise the question of foreign missionaries which has been raised by many other Members today. Let me say that—I am a Christian myself; I hold no brief for the foreign missionaries in this country; in fact, I am one of those who repeatedly raised this question and I would, therefore, like to repeat the question that I have raised in this House before.—I would like to have the figures from the Home Minister as to how many foreign missionaries are today present in the north eastern re-

[Shrimati Margaret Alva]

gion. And this question has never been answered. Charges have been leveled. At least let us have a statement from the Minister today in this House and let us know how many of them are still there. It, after all these years, you still have the foreign missionaries there. I blame not the foreign missionaries, I blame the incapacity of the Government of India to see that this problem was solved. Why are they still there? We have enough Christians in this country and I will pay my tribute to them who have come to these backward regions when nobody else went. They have been working for many years, building schools, hospitals and working among the people. They have been doing this for many years. I have seen this. When I went there last time, I remember I walked into a little school and I found three nuns—in Nagaland—near my hometown. They had a little school, teaching them and running a host-sister centre. Some people are so kind. I have seen three nuns from Italy come down working there. This was the nation when I was told, when I walked into the market place in the capital of Nagaland that it was not safe for women to go out. This I was told in my own country. Yet every time when this question comes up, everybody says foreign missionaries. I would like to know how many of them are still left and if they are left, why are they still there? What are the charges which have been made by Parliament and outside against them?

Then there are many who have tried to make out that this whole question is a minority problem. They say that the Muslims are being harassed. Sir, I would say that is not a Muslim problem. I think Assam has an outstanding record as far as communal harmony is concerned and there has never been this problem there. It is true, many of them have come from Bangladesh. But all of them are not Muslims. Many Hindus had been driven out of Bangladesh at various times. How do we say that everybody who has come from across the border is,

automatically, a minority person and, therefore, because he is a Muslim this movement has been launched. I think, this is carrying the whole thing out of focus and creating problems which do not really exist. Sir, I would only like to say that what we need to do today is to detect, find out a machinery which can detect the various groups which are to be identified in Assam. Some people say, they belong to this category and others say to the others. The refugees who have come over the years are a national commitment. We owe it to them to look after them because this is a commitment we are under some agreements and we cannot do anything about it. But you also have Nepalis. In regard to Nepalis, who came before 1971, there were no restrictions. If, after 1971 they have come, it is our duty to see that they are moved out. If they have come illegally, they have to go back to their country. But then you have also Bangladeshis who came to India illegally after 1971. This you can detect. You have a machinery to find out how many, where and how they are there and find ways by which this problem can be solved. But all these groups should be separated and dealt with separately and not just be thrown into one general category so that a solution cannot be found.

Finally, Sir, I would like to say that a solution to the problem in Assam can be found, not through these draconian measures and not through the indiscriminate use of the Armed Forces in this area. Delay would be disastrous. A solution could be found only through the negotiating table. The movement is spreading. It has spread to other parts. You know what is happening in Tripura. The underground movement in Nagaland and Mizoram is now gaining strength. You will not be able to tackle them unless normalcy is restored in this area. I would say, Sir, release the detained leaders, let them come with confidence and understanding and you will be able to find a solution. Bring them to the negotiating table and let us start with basic points of understanding. There may not be complete understanding to begin with. But once you begin talking

you will be able to find common points and you will be able to find solution. Hence, I would say, I would tell the hon. Home Minister, that this new Bill which you will get passed, will make it more difficult to bring the student leaders to the negotiating table. You are trying to impose something on the people which will not be accepted. Even the previous Bill, which has just been passed, you have to implement it through the local machinery in Assam. Do you think, the local machinery is going to help you in implementing these measures? You will have a revolt from the very same law-keeping and from the very same administrative machinery which, perhaps, has stood by you up till now. Hence, these Bills which you have brought forward so proudly and with so much gusto, I believe, are going to be the undoing of everything which the Prime Minister has been doing all along, to find a solution and to bring the people of Assam back into the mainstream and make them feel that they are one with us.

In conclusion, Sir, I would request the hon. Home Minister not to confuse the issue as he has been in the habit of confusing many other issues over the last few days or weeks. This is an issue where you cannot afford confrontation and you cannot afford confusion. I would, therefore, request you to think about this, take the people of Assam into confidence and whatever you do, please realise that this matter is too important to be made a party issue. This is a national issue in which we are all involved. Assam is as much my concern as it is yours. But I think, only understanding and confidence can restore the balance, and not confrontation, the path of confrontation, which you have chosen today. Thank you.

श्री विश्वम्भर नाथ पांडे (नान-निर्देशित):
माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं गृह मंत्री जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। प्रश्न यह है आसाम में विद्यार्थियों का जो आन्दोलन

चल रहा है पिछले दस महीने से उस का इतिहास क्या सिर्फ दस महीने तक सीमित है। मैं आप को याद दिलाना चाहूँगा कि 1961 के अप्रैल-मई में भाषा को ले कर एक बड़ा अशांतिपूर्ण हंगामा आसाम में खड़ा हुआ था। सैकड़ों घर जला दिये गये उन लोगों के जो बंगला बोलते थे। बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया इस लिए कि वे आसामी नहीं, बंगला बोलते थे। यह एक कथूमिषवनेस आसाम में कैसे आयी? आसाम एक ऐसी जगह है जिस के लिए यह कहा जा सकता है कि वहाँ बहुत सी जातियाँ तिब्बत से, बर्मा से, थाइलैंड से आयीं क्योंकि वह रास्ता था जहाँ से कबोले, ट्राइब्स आते थे और साउथ-ईस्ट एशिया की तरफ जाते थे। इस लिए हम कहें कि वहाँ की संस्कृति, कल्चर, कम्पोजिट कल्चर है, तरह-तरह की संस्कृतियाँ वहाँ मिलीं और मिल कर उन्होंने आसाम की कम्पोजिट कल्चर तैयार की तो यह गलत नहीं होगा।

यह कहा गया इसी सदन में बहुत पहले कि जब आसाम पर विपत्ति आयी, चीनी फौजों ने आसाम की सीमा के अन्दर प्रवेश किया तब जवाहरलाल जी दिल्ली में बैठे हुए अफसोस जाहिर करते रहे, वहाँ नहीं गये। मैं याद दिलाना चाहता हूँ और वाक्यात की तरफ इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जिस समय खबर आयी कि आसाम में चीनी फौजों ने प्रवेश किया है, इन्दिरा जी जवाहरलाल जी के पास जाती हैं, जा कर उन से कहती हैं 'पापू, मैं आसाम जाऊँ?' उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। शाम को उन्होंने फिर वही सवाल किया, 'पापू, मैं आसाम जाऊँ?' जवाहरलाल जी कहते हैं 'तुम अभी तक आसाम नहीं गयीं, अभी तक यही हों।' उसी वक्त घंटे भर के भीतर हवाई जहाज तैयार हुआ, उस में रसद और दूसरे नामान रखे गये और वह वहाँ से रवाना हुई। लाल-बहादुर जी उन को गोहाटी में मिले और उन्होंने उन से पूछा कि वहाँ जा रही हो

[श्री विश्वम्भर नाथ पाण्डे]

इन्दिरा जी ने कहा कि तेजपुर जा रही हूँ। 'तेजपुर जा रही हो ? रात को यहाँ लौट आना।' इन्दिरा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वे तेजपुर गयीं। वहाँ जा कर उन्होंने कहा, "अगर मैं यहाँ रात को नहीं रुकूंगी तो बाकी लोगों से कैसे कह सकती हूँ कि तुम यहाँ रहो।" वे वहाँ रात को रहीं। दूसरे दिन रसद बगैरह उन्होंने बंटवाई। पुष्पलता दास संसद की सदस्या थीं। उन के साथ उन्होंने डिब्रूगढ़ और तमाम दूसरी जगहों का दौरा किया। वहाँ सभाएं कीं, कानून मीटिंग्स की और कानून मीटिंग्स में उन्होंने लोगों को इत्मीनान दिलाया कि आसाम अकेला नहीं है, आसाम के साथ हिन्दूस्तान की 60 करोड़ जनता है। तो यह इलजाम लगाना कि मुसोबत के वक्त हिन्दूस्तान आसाम के काम नहीं आया यह बिल्कुल गलत बात है। मैं आप से अर्ज करना चाहूंगा कि 1961 में वहाँ लेक्जेन राइट्स हुए थे। उस वक्त तुरन्त जवाहरलाल जी ने लाल बहादुर शास्त्री को, जो दुर्गापुर गये हुए थे, हिदायत दी कि दुर्गापुर से सीधे आसाम जाओ और आसाम जा कर देखो कि भाषा विवाद के सवाल को ले कर जो दंगा हो रहा है वह समाप्त हो और वहाँ शांति कायम हो। लाल बहादुर जी फॉरन वहाँ से सीधे आसाम गये और वहाँ जा कर लोगों से मिले। बंगला भाषा बोलने वालों से मिले, असमी भाषा बोलने वालों से मिले, हिन्दी भाषा बोलने वालों से मिले और उन को मिला कर असम में उन्होंने एक ऐसा वातावरण तैयार किया, करने की कोशिश की कि जिस से वहाँ भाषा के नाम पर दंगे हमेशा हमेशा के लिये खत्म हो सकें। जवाहर लाल जी ने उस सिलसिले में लाल बहादुर जी की प्रशंसा भी की थी कि उन्होंने बहुत योग्यता के साथ भाषा विवाद को वहाँ हल करने का प्रयत्न किया। अब आप देखें कि वहाँ कैफियत क्या है ? वहाँ कैफियत यह है कि जिस वक्त मंगलों का

शासन था औरंगजेब ने उमानन्द मंदिर को ज़ागीर दी। हमारे मित्र श्री दिनेश गोस्वामी जी ने बताया कि उमानन्द मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। वहाँ शिव का मंदिर है और शिव रात्रि के दिन लाखों आदमियों की वहाँ भीड़ होती है। औरंगजेब ने अपने फरमान के अखिरे उमानन्द मंदिर को बहुत बड़ी एक ज़ागीर अता की और ज़ागीर अता करने के बाद कहा कि यह ज़ागीर हम इस लिये अता कर रहे हैं कि यह ठाकुर जी के भोग और पूजा के लिये है और जो पुजारी इस मंदिर के हैं उन को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए माली, इस लिये उन के काम भी यह ज़ागीर और ज़ायदाद आयेगी। तो वहाँ का वातावरण ऐसा था। वहाँ की संस्कृति ऐसी थी असम की कि जिस में मुहल्लिफ धर्म, मुहल्लिफ धर्मी, मुहल्लिफ जातियों और मुहल्लिफ संस्कृतियों के लोग मिल कर वहाँ की एक संस्कृति बनाये हुए थे। लेकिन आज बदकिस्मती से यह हो रहा है कि वह संस्कृति जो एक कंपोजिट संस्कृति वहाँ की है उस को एकसक्लूसिव कल्चर बनाने की कोशिश की जा रही है। आज यह सवाल उठाया जा रहा है कि वहाँ बंगला भाषा बोलने वाले नहीं रहेंगे। आज वहाँ हिन्दी और उर्दू भाषा बोलने वाले नहीं रहेंगे। यह बात नहीं होनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो एक फ्लड गेट खुल जायगा हमारे देश में और जगह जगह से यह माँग आने लगेगी कि दूसरे प्रदेशों के लोग जो किसी प्रदेश में रहते हैं उन को वहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा देश जो आज विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं से मिल कर बना है उस के टुकड़े टुकड़े हो जाने का खतरा है। तो जो लोग भारत की सांस्कृतिक अखंडता के पुजारी हैं, जो कंपोजिट संस्कृति के पुजारी हैं उन का फर्ज हो जाता है कि वहाँ कोशिश करें लोगों को मिलाने की, और उन के दिलों को मिला कर उन को एक करने की कोशिश करें। उन को टुकड़े टुकड़े न करें और वहाँ के लिये कोई

ऐसा तरीका निकाला जाय कि वहाँ जो आग जल रही है उस का शमन हो सके। हमारे भाई जो विद्यार्थी वहाँ हैं वे कहते हैं, अब उन से पूछा जाता है कि तुम्हारा नेता कौन है तो वह कहते हैं कि हमारे नेता गांधी जी हैं। गांधी जी की तस्वीर ले कर वह प्रोसेशन में चलते हैं। अपने दफ्तरों में उन्होंने गांधी जी की तस्वीर लगा कर रखी है और जब उन से पूछते हैं कि तुम्हारा नेता कौन है तो वह कहते हैं कि गांधी जी हमारे नेता हैं। उन्होंने सत्यग्रह का सबक हम को सिखाया है। हम को रास्ता दिखाया है और उन के इस रास्ते पर चल कर, नान वायलेंस के रास्ते पर चल कर हम को कामयाबी मिल सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि गांधी जी ने अफ्रीका में क्या किया 1896 में ट्रान्सवाल में। अब साउथ अफ्रीका की सरकार ने ट्रान्सवाल के रहने वालों के एशियायी लोगों के और हिन्दुस्तानियों के जो वहाँ रहने वाले थे सिटिजनशिप के राइट छीन लिये तब गांधी जी ने कहा था और वह वहाँ के हमेशा के रहने वाले नहीं थे, वह भी 25, 30 वर्ष से वहाँ गये थे, लेकिन गांधी जी ने कहा कि यह अपमान है, एशिया वालों का अपमान है, हिन्दुस्तान वालों का अपमान है और इस के खिलाफ हम सब को मिल कर सत्याग्रह करना चाहिए और तीन हजार आदमी स्त्री और पुरुष उन्होंने भेजे और वहाँ की जेलों को भर दिया। गांधी जी कभी इस बात की सलाह नहीं देते कि जो रहने वाले वहाँ के हैं, जिन का जन्म वहाँ हुआ उन को निकाल कर बाहर कर दिया जाय। तो हमें सोचना चाहिए कि गांधी जी के नाम पर जो आन्दोलन हो रहा है, उस में गांधी जी की शिक्षा का कोई अंश नहीं है। वह उन की अपनी मूल वृत्ति है सेशनिस्ट्स की, और खुद वहाँ अरसे से रहने वाले लोगों को निकाल दिया जाय इस तरह को चोखों पर गांधी जी को विश्वास नहीं था। दूसरी बात मैं यह पेश करना चाहता हूँ कि आखिर गांधी जी क्या चाहते थे, सत्याग्रह के बारे में

जिसको लेकर आज हमारे विद्यार्थी भड़के आगे बढ़ रहे हैं। गांधी जी कहते थे...

7.00 P.M.

Let us examine what Gandhiji had said about the Satyagraha and the policy of 'Dharna' which is being conducted by the student satyagrahis in Assam. Writing in *Young India* on 29th December, 1921, Gandhiji said:

"Satyagraha when its limitations are not recognised becomes a licence instead of being a duty, and, therefore, becomes a crime."

Again, on 12th April, 1931 Gandhiji wrote in *Young India* that "Indiscriminate resistance to authority must lead to lawlessness, unbridled licence and in consequence to self-destruction."

Regarding 'Dharna' Gandhiji warned in a signed article in *Young India* dated 2nd February, 1921:

"Students have revived the ancient form of barbarity in the shape of 'Sitting Dharna'. I call it 'barbarity' for it is a crude way of using coercion. It is also cowardly because one who sits on 'Dharna' knows that he is not going to be trampled over. It is difficult to call the practice violence, but it is certainly worse. If we fight our opponent, we at least enable him to return the blow. But when we challenge him to walk over us, we knowing that he will not, place him in a most awkward and humiliating position, I know that the overzealous students who sat on 'Dharna' never thought of the barbarity of the deed. But one who is expected to follow the voice of his conscience and stand even single-handed in the face of odds cannot afford to be thoughtless. Let Satyagrahis, therefore, beware of everything they do. There must be no impatience, no barbarity, no insolence, no undue pressure. If we want to cultivate the true spirit of

[श्री विश्वम्भर नाथ पांडे]

democracy we cannot afford to be intolerant. Intolerance betrays want of faith in one's cause."

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसो-
या) : पांडे जी, आपके पास
भंडार बहुत है, थोड़ा समय के लिए
छुपा लें।

श्री विश्वम्भर नाथ पांडे : मैं आपसे
यह बर्बाद करना चाहता था कि क्या
कीफायत है इस वक्त वहाँ। हड़ताल हो,
बैक बन्द हो जाये, आफिस बन्द हो
जाये, स्टेट बैंक आफ इंडिया, मोह टों
में विद्यार्थी जाते हैं कि बैक बन्द करो।
मैनेजर कहता है यह तो आप हो लोगों के
लिए है, आपका भविष्य के लिए है, लोगों
के डिपेंडेंट्स हैं, वह कैबिनेट में निकालेंगे अगर
दस दिन की हड़ताल कर दें? स्टूडेंट्स बाहर
जाते हैं, पुलिस दरोगा लेकर आते हैं और
वह आकर उनसे कहता है कि बैक बन्द करते
हो या नहीं, उनको रिवाल्वर दिखाता है।
मैनेजर कहता है भाई रिवाल्वर मत दिखाओ,
बैक बन्द कर देते हैं। तो क्या कीफायत है यह
देखिये। शंकराचार्य जब निकले दिग्विजय
करते, बौद्ध धर्म को परास्त करने के लिए तो
उनके साथ साथ तुघल्का राजा को एक लाख
सेना चलती थी। तो जो लोग शास्त्र से नहीं
हारते थे उनको शस्त्र से हराया जाता था।
वही कीफायत आज यहाँ आसाम में हो गई है।
जो सत्याग्रह से नहीं हारते तो उनको रिवाल्वर
दिखाया जाता है ताकि सत्याग्रही जो कहें
वह उनको मानें।

श्रीमान्, बात यह है कि इस चीज को
कड़वा बनाने को जरूरत नहीं है। अगर
शरीर में एक जगह पीड़ा होती है तो सारे
शरीर में पीड़ा होती है। असम में पीड़ा
महसूस होती है तो सारे हिन्दुस्तान में पीड़ा
हो रही है। हिन्दुस्तान का दिल परेशान है
असम की स्थिति को देखकर। इसलिए इसमें
बड़ी सावधानी से, एक समझौते की भावना
से इस मामले को हल करने की जरूरत है।

अतएव यह जातिवर्धक या प्रस्ताव यहाँ
चाया है, इनकी जरूरत इसलिए पड़े। कि
या लोग उन को काम नहीं करने देते हैं,
कानून को नहीं चलने देते हैं वह न कर
पाये। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो कानून
को मानते हैं। यह उन लोगों के
लिए है जो कानून को नहीं मानते
जो अपने आप मनमानी करते हैं उनको
दुस्त कराने के लिए यह कानून है। मैं समझता
हूँ कि इस कानून का उपयोग जनतांत्रिक
तरीके से सीमाओं के भीतर होगा और किसी
को इनके दुरुपयोग का मौका नहीं मिलेगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय गृह मंत्री
जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, उसका स्वागत
करता हूँ।

SHRI BHUPESH GUPTA (Wes-
Bengal): It is Mahatma Gandhi's apo-
logetic way. I am very glad.

श्री मनुभाई पटेल (गुजरात) : इस
सवाल की धार इससे पहले जो बिल हमने
पास किया बड़ी देर से इस बारे में कुछ कहना
चाहता था लेकिन समय की पाबन्दी की वजह
से उस समय मुझे बोलने का मौका नहीं मिला।
दूसरा बिल भी इसी प्रकार का है। मैं तो
सिर्फ, जो कदम अभी उठाया गया है उसके
प्रति हमारी भावना क्या होनी चाहिये इस
बारे में बात करूँगा और दोनों बिलों की
मैरिट्स और डिमैरिट्स में जाने की कोशिश
नहीं करूँगा। यह हाउस एलबर हाउस है
इसलिये देण यहाँ आशा की नजर में देखता
है। आदरणीय पांडे जी ने जो बात कही
भारतीय संस्कृति की, बड़े उमूल की बात
कही (Interruptions) भारतीय संस्कृति
के लिये प्रथम भारतीय होना चाहिये
और भारतीय एकता का जहाँ तक
सवाल है मैं नहीं समझता कि इस सदन
में कोई भी आदरणीय सदस्य दो राय रख
सकेगा। इसलिये मैं इन बिलों के प्रति कोई
पार्टी की दृष्टि से चर्चा नहीं करना चाहता
क्योंकि कई एरियाज देण के ऐसे हैं जो सेंसेटिव
हैं इसके बारे में बड़ी सहानुभूति से सोचना

चाहिये। जो एरियाज देश के सेंसेटिव होते हैं उनके बारे में बड़े प्यार से सोचना चाहिये। असम का सवाल सिर्फ सेंसेटिव एरिया का नहीं है बल्कि सेंसेटिव इशू भी है। आदरणीय पांडे जी जब बोल रहे थे तो गांधी जी की बात कर रहे थे। गांधी जी ने सारे देश का एक बनाया था, उसको जोता था तो प्यार से और प्रेम से जोता था। उन्होंने कहा कि तान्हा, कड़वा, पीड़ा वगैरह का शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिये और न ही ऐसा कोई कदम उठाना चाहिये। मैं सहमत हूँ आपसे लेकिन बाद में जो आपने कहा वे बिल्कुल विरोधभास विचार व्यक्त किये गये। उसमें कहा गया कि यदि जरूरत पड़े तो सक्ती से दबाना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूँ कि गांधी जी का कभी यह रास्ता नहीं था। गांधी जी ने उसके लिये सत्याग्रह किया, जेल जाते थे और प्राण त्याग करने के लिये हत तक जाते थे लेकिन उन्होंने यह कहा था कि जब लोगों पर अन्याय होता है, वे अन्याय महसूस करते हैं और वे यदि हड़ताल और सत्याग्रह का आश्रय लेते हैं तो इनमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इन सब उमलों को गहराई में जा सकते हैं लेकिन मैं उन सब पहलुओं में जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतनी ही प्रार्थना करना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर जिस भावना से इस सवाल को हल करने की कोशिश कर रही हैं, विरोधी दलों के नेताओं को भी बुलाते हैं, वहां के असम के लोगों के साथ भी बात करने की कोशिश कर रही हैं और चाहती हैं कि उनके साथ एक टेबल पर चर्चा हो लेकिन इस समय जो हो रहा है, हिंसा जो हो रही है उससे कोई सहमत नहीं है इस साइड का था उस साइड का। इस चीज को रूनिंग पार्टी को जो सरकार है उसको देखना पड़ेगा। आदरणीय श्री जकरिया बता रहे थे कि वहां तेल बंद करते हैं, रास्ता ब्लाकैड करते हैं, रेलवे वगैरह बंद करते हैं वह कोई डिजीज नहीं है। डिजीज कोई दूसरी है। वहां सिर्फ विदेशी का सवाल है। विदेशी के सवाल में मैं समझ सकता हूँ कि कई दूसरी ऐसी बातें हैं जो इसमें मिस

हो गई हैं लेकिन इसका भी हल करना होगा। मैं समझता हूँ ऐसी बातें, ऐसे मामले हल होते हैं ज्यादा से ज्यादा बातचीत से। दबाव से हल नहीं हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बार-बार इस सदन में कहते हैं कि हमारा दरवाजा खुला है। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि टेबल पर हम बात करने को तैयार हैं और साथ ही यह भी कहा है कि वर्ष के बारे में डेट लाइन हमारे दिमाग में खुली हुई है, बंद नहीं है। जब इस सवाल को हल करने के लिये, इन सब पहलुओं पर विचार करने के लिये आपका दिमाग खुला है तो इसके विपरीत और इसके बिल्कुल विरोधभास, कांटरइन्क्वेटरी कदम क्यों उठाने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जिस भावना के साथ सरकार आसाम की समस्या को हल करना चाहती है, वह विधेयक उसके विपरीत जाता है। आज आपने एक बिल पहले प्रसारित कर दिया है। दूसरा यह बिल आप पास करने जा रहे हैं। ये दोनों विधेयक आसाम के लोगों की भावनाओं के खिलाफ जाते हैं। हमें विचार करना चाहिए कि आसाम भी हिन्दुस्तान का एक हिस्सा है। भारत का कोई भी प्रदेश हो, चाहे वह कोई भी भाषा बोलता हो, सब भारत के हिस्से हैं। अगर भारत के किसी हिस्से के लोगों को यह लगने लगेगा कि वे हिन्दुस्तान के हिस्से नहीं हैं तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। मैं आपके सामने एक छोटी-सी मिसाल देना चाहता हूँ। हम लोगों ने आसाम के वाडर के हिस्से में एक शिविर लगाया था। भारत के कई हिस्सों के विद्यार्थी उसमें गये थे। स्टेशन पर विद्यार्थियों के विस्तर जब वहां के विद्यार्थी उठाने लगे तो उनकी दूसरी ही भावना देखने को मिली। यह बहुत पहले की बात है। उनका कना था कि इंडियन को हमने

[श्री मनुभाई पटेल]

either with rifles or as exploiters. के रूप में ही देखा है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के बिल से हम उन लोगों की इस भावना को कम करने के बजाय बढ़ा रहे हैं। आज जल्द ही इस बात की है कि उनकी इस भावना को दूर करने की कोशिश की जाये। मैं अधिक लम्बी चोड़ी बातें नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा यह इलडर्स का हाउस है। हमें हर बात की जानकारी होनी चाहिए। आसाम के लोगों की जो भावनाएं हैं उनको समझा जाना चाहिए, उनके जज्बात को बड़ाना गलत होगा। आसाम के अन्दर जो आन्दोलन चल रहा है, उसमें सब कुछ सही हो रहा है, इसको मैं कभी मानने वाला नहीं हूँ। लेकिन 99 प्रतिशत बात वहाँ पर सही हो रही है, इसको सब का स्वीकार करना होगा। चोरी-चोरा के सत्याग्रह में जब गांधी जी ने कुछ हिंसात्मक चीजें देखी तो उन्होंने उसको वापस ले लिया। हम गांधी जी की बात बार-बार कहते हैं। पांडे जी ने ट्रांसवाल की बात कही। गांधी जी ने अकेले विदेशों में सत्याग्रह आन्दोलन चलाया और यह सिखाया कि विदेशों में भी सत्याग्रह किया जा सकता है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कहीं भी सत्याग्रह किया जा सकता है। सत्याग्रह सिर्फ विदेशी सत्ता के खिलाफ ही नहीं हो सकता है, अपने देश में व्यक्तिगत न्याय प्राप्त करने के लिए भी सत्याग्रह किया जा सकता है। यही नहीं अपनी खुद की सरकार के खिलाफ भी सत्याग्रह किया जा सकता है। चाहे अपनी पार्टी की सरकार ही क्यों न हो, प्रेमपूर्वक अपने अधिकारों के लिए सत्याग्रह किया जा सकता है। ये बातें हमें गांधी जी ने सिखाई हैं। गांधी जी ने हमें सिखाया है कि प्रमथुर्बक अपने अधिकारों की रक्षा

के लिए अहिंसात्मक ढंग से आन्दोलन किया जा सकता है। अभी थोड़ा देर पहले जब यहाँ पर एक विधेयक पास किया गया तो बड़ी तालियाँ बजाई गई। इस प्रकार की बातों से आसाम के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचती है। हमें इस प्रकार के कानून बनाते समय खेद होना चाहिए था।

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसो-बिया) : आप जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री मनुभाई पटेल : मेहरबानी करके आप आसाम के लोगों की भावनाओं को ठेस मत पहुँचाइये। आपने पहले एक बिल पास कर दिया है। अगर आप इस बिल को भी पास करेंगे तो जिस भावना के साथ आप टेबल पर बात करके इस समस्या को हल करना चाहते हैं उसमें बाधा पड़ेगी। एक टेबल पर बात करने के लिए यह जरूरी है कि आसाम के लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुँचाई जाये। चाहे सन् 1951 की बात हो या सन् 1971 की बात हो, आपको बातचीत करके इस समस्या को हल करना है। अगर आप किसी कारण से उन लोगों को टेबल पर नहीं ला सके तो यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि हमारा यह इलडर्स का हाउस है, हम ऐसा कोई काम न करें जिससे इतिहास यह कहे कि इलडर्स के हाउस ने भी गलत काम किया। अगर उनके दिल में यह भावना हो गई कि हम कम दर्जे के भारतवासी हैं, अब्बल दर्जे के भारतवासी दूसरे हैं क्योंकि हम बहुत दूर हैं, पहाड़ों में हैं, जहाँ लोग आ नहीं सकते, यहाँ कोई सुविधा नहीं और इसीलिये हमारे साथ यह बर्ताव हो रहा है, इसके लिये इतिहास भारत सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। मान्यवर, यहाँ बोट क्लब में 17 एम० एल० एज० ने

घरना दिया था। उसमें वहाँ के एक भूतपूर्व चोफ मिनिस्टर भी थे, उनको अरेस्ट किया गया था। यहाँ इस बारे में सवाल उठा था। इसके बाद इस सदन द्वारा इस सदन की ही बनाई हुई पेटिजंस कमिटी के आगे आसाम का सवाल आया। जब पेटिजंस कमिटी के आगे सवाल आया जिसने कि राज्य सभा ने मजूर किया है और समाप्ति जो ने पेटिजंस कमिटी को डाइरेक्शन दिया है कि इस सवाल में जाइये। इस पेटिजंस कमिटी की मीटिंग भी है 16-17 तारीख को। तो क्या हमारा यह सदन पेटिजंस कमिटी को इतना भी मौका नहीं देगा कि इसके सवाल-जवाब में जायें। थोड़ा हम रुक जायें। इसमें डिले की बात मैं समझ सकता हूँ क्योंकि कई बातों में डिले डेजर्स हो सकती है। लेकिन जहाँ प्रेम से समझीता करना है तो उसके लिये थोड़ी डिले हो। इसमें कोई हर्ज नहीं। ऐसी भावना से अगर सरकार इस बिल के प्रति दृष्टिकोण रखेगी तो मैं समझता हूँ कि ठीक नतीजा सामने आएगा। यदि मेजोरेटी है इसलिये बिल पास हो करना है जिससे कि शस्त्रों को सजाकर आसाम के लोगों को दबाया जा सके तो यदि यह भावना रही तो भविष्य हमारे लिये खतरनाक है। इतनी चुनौती देकर मैं प्रार्थना करूँगा कि सभी भी मेहरबानी करके ऐसी लाइन मत लोजिये जिससे हमारे देश का एक हिस्सा, हमारे राष्ट्र का एक हिस्सा जो है उसे ऐसा लगे कि हम राष्ट्र से अलग हैं।

श्री हरी शंकर भामड़ा (राजस्थान):
उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे निवेदन करना है कि मेरा समय और लोग समाप्त न करें। मैं अपने समय में बोलूँगा और ज्यादा नहीं बोलूँगा।
554 RS-8

मेरा निवेदन यह है कि आसाम की समस्या के बारे में विभिन्न लोगों ने विभिन्न प्रकार से एक ही बात को कहा है। लेकिन मुझे लगा कि हर एक की बात के पीछे उसकी अपनी पार्टी का कुछ न कुछ अंश उसमें लगा हुआ है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जिस आसाम के आन्दोलन को वहाँ के विद्यार्थियों ने राजनीति से अछूता रखा है उस आन्दोलन में हम लोग इस तर्क-वितर्क से राजनीति का प्रवेश कराने जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि यह सबसे बुरी बात होगी। जो काम वहाँ के विद्यार्थियों ने नहीं किया वह काम हम लोग करने जा रहे हैं। इसलिये मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि
(Interruptions)

श्री हरीसिंह नलवा (हरियाणा):
महोदय, माननीय सदस्य
(Interruptions)

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया): आप बैठ जाइये
(Interruptions)

श्री हरी शंकर भामड़ा: उपसभाध्यक्ष महोदय, ये हरियाणा वाले जो आया राम, गया राम हैं
(Interruptions)

श्री हरीसिंह नलवा: मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया): आप कृपया बैठिये।

श्री हरीसिंह नलवा: मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। वाइस चेयरमैन साहब, आनरेबल मेम्बर ने यह फरमाया है कि पोलिटिकल पार्टी अपने हितों को लेकर इस बिल को पास करा रहो हैं। अगर माननीय सदस्य ऐसा कहते हैं तो मैं यह

[श्री हरीसिंह नलवा]

पूछना चाहता हूँ कि अगर इसके पीछे पोलिटिकल हैंड है तो आसाम के जो लोग....

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसो-दिया) : समय बहुत कम है। आप मेहरबानी करके बंठिये। यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री हरीसिंह नलवा : यह कहते हैं कि... (Interruptions)

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसो-दिया) : आप बंठ जाइये।

श्री हरी सिंह नलवा : वहाँ जो फारेनर्स हैं उनको निकल जाना चाहिए। (Interruptions) अगर फारेनर्स को निकल जाना चाहिए तो जो वृक्षों के टी गार्डन थे वह अंग्रेजों के हाथों में...

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसो-दिया) : आप बंठ जाइये।

श्री हरीसिंह नलवा : यह (Interruptions)

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसो-दिया) : आप क्यों समय खराब कर रहे हैं? आप बंठ जाइये। यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

(Interruptions)

श्री हरी शंकर भाभड़ा : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अभी कुछ बोला भी नहीं तो उसके पहले ही हरियाणा बीच में आ गया। हरियाणा राजस्थान का पड़ोसी है। मुझे कोई दर्द नहीं है। लेकिन मैं निवेदन यह करना चाहता था कि आसाम के इस मसले पर एक बात में सभी लोग सहमत हैं कि यह मसला बड़ा अहम है, उसमें लोगों के जजबात घुसे हुए हैं। इसलिये हमको बड़ी सावधानी से इस मसले पर विचार करना चाहिए। इस बात पर सारे ही लोग सहमत हैं और मैं समझता हूँ यदि सरकार भी

यह समझे कि वह प्रजातंत्र की सरकार है और लोगों के लिए लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है तो वह अपना कौन सा चेहरा जनता के सामने प्रकट करना चाहती है यह निर्णय सरकार को स्वयं करना होगा। मान्यवर, बिना मत के बिना जनता के सहयोग के कोई भी पार्टी सरकार में आ नहीं सकती। और सरकार में आने के बाद दुर्भाग्यवश यह प्रजातंत्र की एक इन्टिग्रिटी कमजोरी है कि कोई भी पार्टी अधिक से अधिक ताकत लाना चाहती है और जनता उसको रजिस्ट करती है, उसका विरोध करती है। यह एक कंस्टेंट वार बिटवीन पीपल एंड पब्लिक चलता रहता है। यह प्रजातंत्र की इन्टिग्रिटी कमी है। लेकिन आज जो सरकार है मैं तो यह कहूँगा कि पता नहीं इस सरकार के भाग्य में ऐसा है कि हमारे संविधान के जिन प्रोविजनों का बहुत कम प्रयोग करना चाहिए उनका प्रयोग उसको नार्मल करेक्टर करके करती है। आर्टिकल 357 के अन्तर्गत यह बिल लाया गया है और जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैं गलत कहूँ तो मुझे ठीक किया जाए, इसका प्रयोग पहले कभी भी हुआ है क्या, यह गृह मंत्री महोदय अपने जवाब में बतायें। इस आर्टिकल के अन्तर्गत कभी भी इस प्रकार के पावर्ज का डेलीगेशन प्रेजिडेंट को हुआ है क्या? दूसरी बात यह है कि इस संबंध में यद्यपि आर्टिकल 357 चुप है कि जब पार्लियामेंट सेशन में हो तो उस समय विधायिका के अधिकार प्रेजिडेंट को दिए जा सकते हैं या नहीं दिए जा सकते हैं लेकिन आर्टिकल 356 को हम इससे अलग नहीं कर सकते। आर्टिकल 356 और 357 दोनों को लेकर उसका अर्थ निकालना पड़ेगा। आर्टिकल 356 में इस बात पर प्रतिबंध है जब पार्लियामेंट सेशन में हो तो प्रेजिडेंट

को किसी प्रकार के विधायिका के अधिकार नहीं दिए जा सकते लेकिन यह एक एवनार्मल स्थिति है और उसमें 357 का प्रयोग यह कहकर किया जा रहा है कि हम आसाम के आन्दोलन में ऐसे तत्व जो आन्दोलन को विकृत रूप देना चाहते हैं उनको डील करना चाहते हैं। यदि यहां तक यह बात रहे तो यह बात समझ में आ सकती है लेकिन पूर्व इतिहास इस बात का साक्षी है जब 1974 में मीसा का कानून लाया गया तो इन्हीं सदनों में यह आश्वासन दिया गया था कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा परन्तु उसका परिणाम क्या हुआ इसका सारा देश साक्षी है। उसका दुरुपयोग हुआ है। दुरुपयोग इसलिए होता है कि चाहे सरकार में बैठे हुए मंत्री दुरुपयोग न करना चाहे परन्तु फिर भी जो मशीनरी उनके नीचे काम करने वाली है वे उनके अधिकार में रहते नहीं हैं और उसका दुरुपयोग निश्चित रूप से करते हैं। इसलिए इस प्रकार के कानून जनता में जा कर काला कानून बनते हैं और उनका विकृत रूप ही जनता के सामने जाता है। आज चाहे कितनी भी सद्भावना हो, सदिच्छा के साथ सरकार यह कानून लाए लेकिन जब इसको लागू किया जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें विकृति होगी। यह सरकार की दुर्भाग्य है कि उसने आज विधान सभा को अनिश्चित काल के लिए निलम्बित करके रखा है। उसके सारे अधिकार संसद को दिए गए लेकिन संसद से भी इन अधिकारों को छीन कर राष्ट्रपति महोदय को यह देने जा रहे हैं। इसका परिणाम निश्चित रूप से यह होगा कि एग्जीक्यूटिव को यह पावर्ज मिलेगी और जो एक कमेटी बनाई गई है उसके बारे में स्पष्ट नहीं है। उस कमेटी में क्या सारी ही पार्टियों के मेम्बर्स हैं। इसमें आसाम के लोगों को खास तौर से मेम्बर बनाया

जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। भयवा यह जो कमेटी बन रही है वह कमेटी जो सजेशन देगी उसको राष्ट्रपति मानने के लिए

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया): आप कृपया समाप्त कीजिए।

श्री हरी शंकर भाभड़ा : मैं अभी समाप्त कर रहा हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया): बुद्धिमान आदमियों को ज्यादा समय नहीं चाहिए।

श्री हरी शंकर भाभड़ा : मैं जल्दी कर रहा हूँ। तो कमेटी के द्वारा दी गई सजेशन को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है लेकिन उसको भी राष्ट्रपति मानेंगे या नहीं उसको मानने के लिए बाध्य है या नहीं यह भी स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार यह जो कानून आज इस परिस्थिति में आया है जबकि दो बजे के बूलेटिन में घोषणा हुई कि विद्यार्थियों ने यह कहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं ऐसी स्थिति में मैंने पहले भी इसी सदन में निवेदन किया था कि जब विद्यार्थी बातचीत करने के लिए तैयार हैं तो इस प्रकार के काले कानून बना कर, अप्रजातान्त्रिक तरीके से लोक-विरोधी जन-तंत्र की जड़ों को समाप्त करने वाले कानून बना कर, जिनका विकृत रूप जा कर आसाम के आन्दोलन करने वाले छात्रों पर असर करेगा इससे स्थिति और ज्यादा खराब होगी और जो स्थिति हम ठीक करना चाहते हैं, मिल बैठ कर हल करना चाहते हैं उसमें गतिरोध पैदा होगा। इसलिए मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे कृपया इस आन्दोलन को राजनीतिक स्तर पर,

[श्री हरीशंकर भामंडा]

टेबल पर बैठ कर बातचीत के माध्यम से सुलझाएँ, बजाए इस प्रकार के काले कानून बना कर के और इस प्रकार से जोर-शक्करवादी सत्ता को दबाने की बात करते फिर जायें जहाँ बड़े-बड़े तो उसके परिणाम निश्चित होंगे कि वे कब से कब बदलाव में आने लगे होंगे ।

आज संसद में जो निश्चितियाँ आ रही हैं, उनका कारण भी यह है कि सरकार सत्ता में कल्प नहीं उठा रही है और उनकी बातचीत का जो निश्चितता तुरंत चालू करना चाहिए था, उसमें डींग दी जा रही है । यदि बातचीत का निश्चितता तुरंत चालू हो जाए, तो जो बूख समस्या है विदेशियों को वहाँ से हटाने की, जिसमें सरकार और विद्यार्थी भी सहमत हैं, उसमें कोई अन्तर नहीं है ।

बाकी की बातें जो बंगाली मुसलिम—वेवाद में आई हैं । यदि समय बढ़ता गया तो शायद और बातें भी आयेंगी । इसलिए जल्दी से जल्दी राजनीतिक स्तर पर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए और यह जो कानून गृह मंत्री जी ला रहे हैं, निवेदन करूँगा कि वे इस कानून को वापस ले लें । मैं इस विन का विरोध करता हूँ ।

श्री हृकनरेव नारायण यादव (बिहार): सत्र से पहले मैं यह निवेदन करूँगा कि जो असम की विधान सभा है, उसको अनिश्चित काल के लिए निलंबित करके रख दिया गया है । या तो चाहिए था राष्ट्रपति महोदय को, या गृह मंत्री जी को कि जब वहाँ स्थिति इतनी नाजुक है तो जब तक वहाँ की विधान सभा को डिजाल्व नहीं कर दिया जाता है, असेम्बली को समाप्त नहीं कर दिया जाना है तब तक फिर यह दो तरह है, नियम चले कि वहाँ की विधान सभा निलंबित भी रहे और यहाँ संसद सदस्यों की एक परामशदायी समिति बना करके उसको चला

करके उसके जरिए असम में शासन किया जाए । यह उचित नहीं लगता है । इसके पीछे प्रेरणा यह भी है कि सरकार चलाने के लिए दो सत्ता की आवश्यकता है, राजसत्ता और नैतिक सत्ता । जहाँ तक इस सरकार का संबंध है, वहाँ उस सरकार के पास नैतिकता की कोई चीज नहीं है । यह राज-सत्ता के नाम पर देश में शासन करना चाहती है । जहाँ नैतिक सत्ता समाप्त हो जाती है, वहाँ हमारी राजसत्ता ही काम चलाती है । नैतिक सत्ता लोगों के पास तब आती है जब सरकार चलाने वालों के पास त्याग और तपस्या का बल होता है । जब सरकार चलाने वाले भोगी हो जाते हैं, भोग में डूब जाते हैं, तब उनका काम अपने भोग की पूर्ति के लिए ही जनता का शोषण करना रहता है, तो उस सरकार के पास नैतिक बल नहीं रहता है । इसलिए आपके पास नैतिक बल नहीं है ।

असम के अन्दर जो सवाल पैदा हुए हैं मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने किताबें नहीं पढ़ी हैं आज से बहुत दिन पहले डा० राम मनोहर लोहिया ने भारत चीन की उत्तरी सीमा नाम से किताब लिखी थी । जिस सीमा को उन्होंने उर्वशी के नाम से उपाधि दी थी । वह उर्वशी का इलाका इतने दिनों से असम पड़ा हुआ है । मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि असम का सवाल केवल विदेशियों का नहीं है, आर्थिक सवाल भी उससे जुड़े हुए हैं, समाजिक सवाल भी उससे जुड़े हुए हैं । केवल असम में यह सवाल नहीं है । आज से कुछ दिन पहले जब बिहार के दक्षिण में आदिवासियों ने तीर कमान लेकर अपने दक्षिण बिहार के सवाल को उठाया था कि हमें अलग कर दो—क्या वहाँ हो रहा है ?

दूसरे इलाके के लोग जो काबिल, तेज, विद्वान और प्रतिभाशाली होते हैं, समाज में शोषण करने वाले होते हैं, दूर-दराज तक चले जाते हैं व्यापार करने के

लिए और दूसरे काम करने के लिए और वहाँ के जो मूल निवासी होते हैं, उनके परिश्रम का शोषण करके वहाँ का वह मूल निवासी बन जाता है और मूल निवासी को वहाँ से खदेड़ देता है। आज उसी तारीके से जो जाहर के लोग गये हुए हैं, उन्होंने असम में केवल वहाँ के लोगों की रोजी को छीनने का काम किया है, बल्कि उनकी जमीन और रोजगार को लेने का भी काम किया है। उनके पेट पर भी लात मारने का काम किया है। एक तरफ जहाँ गरीब के पेट पर लात पड़ती रहेगी वह कब तक बर्दाश्त करता रहेगा।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि यह सरकार चाहे कानून बना दे, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस तरह के कानून दुनिया में बहुत बने थे, कभी दुनिया के अन्दर हिटलर ने भी सोचा था कि इस तरह से डंडे के बल पर हम लोगों को दबा कर के रखेंगे। लेकिन वह भी नहीं रह पाया इस दुनिया में बहुत से लोगों ने यह भी सोचा था कि राजपूतता और दमन के बल पर हम लोगों के अधिकार को छीन लेंगे और दमन के जरिए उनको कुचल कर रख देंगे आप याद रखिए आपने भी 19 महीने तक इमरजेन्सी लागू करके मेरे जैसों को कुचलने का काम किया था लेकिन अब आप कुचल नहीं सकते। लोगों के भीतर जो बड़ने का माहा है, हिन्दुस्तान के गरीबों के अंदर जो दबा हुआ समुदाय है आप उनको रोक नहीं सकते हो। याद रखो साल छः महीने के अंदर आप भले ही कुछ कर लीजिए। आप भले ही अपने बहुमत के आधार पर लोगों को दबाने का काम कर लीजिए लेकिन साल छः महीने के बाद आप भी घराशाही होने वाले हैं (Interruptions) अब जनता अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। आप याद रखिए प्रणि और परमात्मा का भीखेल चलना रहना है भले ही आप (Interruptions) इसे भले ही कुछ करिए। लेकिन याद

रखिए केवल असम का सवाल नहीं है केसरी जी, जो उत्तर पूर्वी सीमा है, उत्तर पूर्व की सीमा जो विदेशों के साथ लगी हुई, सब से पहले इस सरकार पर आरोप यह है—आप बीच-बीच में कह देते हो, जनता सरकार की बात उठा देते हो—लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ 30 वर्ष तक जिस गद्दी पर बैठ कर शासन चलाने का काम न केवल एक पार्टी की सरकार बल्कि एक परिवार के लोगों ने किया मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 30 वर्षों तक उत्तर पूर्वी सीमा की समस्या के समाधान के लिए आपने कौन सी कार्यवाही की? त्रिपुरा खोल रहा है, नागालैंड खोल रहा है, मिजोरम खोल रहा है, आपने इस ज्वाला को शांत करने के लिए समस्या का समाधान करने के लिए कोई ठोस उपाय किया नहीं बल्कि मेरा यह आरोप है कि आपने उत्तर पूर्व की सीमा में जो कुछ भी गड़बड़ी पैदा होती रही उसके पीछे आपकी मन्शा रही है कि हर राज्य में गड़बड़ी पैदा होती रहे और केन्द्र की ताकत मजबूत बनी रहे और केन्द्र द्वारा ऐसे राज्यों पर शासन किया जाए। लेकिन राज्य के ऊपर अगर केन्द्र का दबाव पड़ेगा तो राज्य के अंदर गुस्सा पैदा होगा और राज्य सरकारें केन्द्र सरकार से टकराएंगी। इसलिए मैं निवेदन करूँगा असम के वे नीजवान असम के वे विद्यार्थी असम के वे लोग जो आज लड़ाई के मैदान में निकले हैं आप उनका उपहास करके दबाने की कोशिश मत करें। इसलिए उपहास मत करो। उपहास ही के कारण इसी दिल्ली के बगल में कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ, इसी उपहास के कारण हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ क्योंकि आपने हिन्दुस्तान में बसने वालों को अपना उचित सम्मान नहीं दिया। इसीलिए हिन्दुस्तान बंटता था (Interruptions) उप-समाध्यक्ष महोदय, और लोगों की तो मेडन स्पीच होती है, मेरी तो यह मेडन स्पीच है।

[श्री हुक्म देव नारायण यादव]

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में आपसे यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो कुछ भी समस्या का समाधान है उस समस्या के समाधान को यही ढंग से निकलो। लोगों के अधिकार को दवाने का काम मत करिए। लोगों के मुंह पर ताला लगाने का काम मत करिए। डंडे के बल पर शासन चलाने का काम मत करिए। फिर भी अगर आप इस चीज को प्रक्रियार करेंगे तो जो हिन्दुस्तान के अंदर से आग की ज्वाला निकल रही है, आप इसके लिए चाहे विदेशी मिशनरियों को अपराधी घोषित कर दें या और कुछ कर दें, लेकिन हिन्दुस्तान को वह दुर्दिन न देखना पड़े क्योंकि मेरे जैसे आदमी को भय है उपसभाध्यक्ष महोदय, कि जिस गांधी जी के नेतृत्व में हिन्दुस्तान आजाद हुआ था, और जिस प्रधान मंत्री के प्रधान मंत्री बनने से पहले हिन्दुस्तान बंटा था उनकी ही बेटों के शासन काल में कहों इस हिन्दुस्तान का बंटवारा न हो और उस वंश में कलंक का टुकड़ा न लग जाए इसलिए मैं इन्हे आगाह करता हूँ मुल्क को तोड़ने का काम मत करो।

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, enough has been said about the Assam situation. I do not wish to deal with it. But since we are closing today, I would like to make some observations, keeping in view that I am speaking on an issue, a problem, which is not one that is between the Government on the one hand and the Opposition on the other. The problem is one, the solution of which we must find by putting our heads together, irrespective of on which side of the House we sit. Sir, it is in that spirit on May 31st that there was a meeting of the Prime Minister with the Opposition leaders.

i the privilege to attend it on, behalf of my party. The Home er and some other Cabinet Ministers were also present. Through mutual discussion, we came to certain broad conclusions with regard to the approach that should be taken and that

was projected through a joint statement. We departed not in acrimony, but by coming to an understanding as to how we must find our way to the settlement of the foreigners' issue and I think we should address our minds to that. The first thing we said in the statement is that the unity and integrity of the country must be safeguarded. There can be no two opinions about it.

The second point that we made was that there must be negotiated settlement by the Government and others on the one hand and the leaders of the Assam agitation on the other. The third point we made was that the minorities, both linguistic and religious, should be given protection and that should be the responsibility of the Centre. The next point we made was that there should be an agreed machinery to identify the foreign nationals or foreigners, whatever you may call them, and also agreed procedure to deal with them. Officially, Sir, an appeal was made to the agitators in Assam and the leaders of the agitation without naming any particular organisation, that is to say, the All Assam Students Union and All Assam Sangharsh Parishad, to call off the agitation. We from the opposition side stressed there not only this point but also that the Government should not use repressive measures, and we of the Left Party stand for simultaneous withdrawal of the agitation and negotiations between the agitators, the leaders of the present agitation, the Government and the others. This is the only approach. What else can you do? Today it is no use trying to exchange bitter words. We have done it enough. There are other occasions for it. Therefore, my approach in this matter is entirely different. May I take this opportunity and this occasions to appeal once again ardently with all my heart and agony and anguish to the leaders of the Assam agitation to call off the agitation? This is absolutely essential for creating an atmosphere in which we can try to find out ways 'arid means for a peaceful settlement. Of course, I would ask the Government and I hope the Government will respond that there should

not be any repressive measures. That is how the whole thing should be brought to the negotiating table. There would be no need for presidential rule. There would be no need for these ordinances, according to them. There would be no need for the agitation turning violent and so on only if we are able to find our way to the negotiating table in a spirit of the unity of the country for the good of the people of Assam and the rest of the country. The whole region is in turmoil and I notice behind it the hands of the foreigners. The arms are being used which are made in China. In other places, rockets have been used which are made in China. In Assam, in Project Brahmaputra the CIA has been active for a long time. These are the forces encouraging separatist, secessionist and dangerous tendencies. It is the time for us, in the face of such extraordinary intervention by the Sino-US axis, to start quarrelling amongst ourselves? Or, must we not in the national interest, for the sake of unity and integrity of the nation come together and see how best we can preserve the unity of our country and also promote the well being of the people of Assam? Assam has been neglected. So many other areas also, and I will not go into it at the moment.

Sir, the way to solve the problem is not the kind of thing that is going on in Assam, not violence. Some of our comrades have been killed. We are being attacked. The CPI(M) members are being attacked. Others are being attacked. It is because we stand for a peaceful solution. We want the withdrawal of the agitation. We want the negotiations to take place. Sir, all that is happening is a tragedy and the tragedy has to be met, Sir, with magnanimity, with wisdom, with statesmanship in the true national spirit. There, I think, our hon. friend has very rightly recalled Gandhiji's teachings, what Gandhiji did when communal riots took place in Noakhali. The man alone went there and sought to bring the Hindus and the Muslims together. Sir, I say this thing because

such should be the approach. Sir, at that time, we had one of our comrades released from the jail from Andamans in the Chittagong armoury raid case, after life transportation, after serving about 17 years in prison. He said that he would go to Noakhali. He went there and became a martyr. He became a martyr himself within a few weeks of his coming out of the jail after serving 17 years, most of them in the Andamans. This is our tradition. And I cannot understand why the All Assam Students Union leaders or the Ganasangram Parishad people do not respond, to the appeal that we have made on the 31st May. We have laid no pre-condition. We have not said that 1971 should be the cut off year, neither have we said 1951. We said, "come here, discuss, argue your case, let us exchange the reason keeping India in mind, keeping unity of India in mind, the well-being of the people of Assam in mind." I am sure the genius of this nation will not fail in finding a correct settlement and solution to the problem. But, some external forces, some communal forces, some separatist forces, some secessionist forces who want to take advantage of the present situation and even some legitimate grievances of the people of Assam are exploiting the situation. Therefore, my appeal on the last day of the session is: Let us set about the task in a better way. This appeal I make to the Government. I have talked to Mr. Zail Singh. The Prime Minister called me and I had a long talk with her. I had the impression—I had the impression, and I must be cautious nowadays—that if the Assam agitators will call off the agitation and come to the negotiating table, then the Government will be persuaded—and we shall also persuade, and I think, they will also persuade—to revoke the repressive measures. That chapter should be closed. This should be the position.

Sir, having said this, one or two suggestions I will give for the Committee that you are forming. Sir, we

[Shri Bhupesh Gupta]

have to deal with the reality. Now that Assam under the Parliament, we could make laws. But that does not happen in such a situation. Sir, as you know, we wanted during the Constitution Amendment discussion that the system of President's Rule should go. But now that it is there, nobody can form a Government. So, something has to be done. Therefore, let us not go into this thing now. Sir, I make only one or two points and fit down.

Sir, our Party has submitted a memorandum to the Government there, the authorities there. And in that memorandum, it is said that it is reported that most of the Government Departments which sided with the agitation mis-appropriated crores of rupees in the name of purchase of material against Government schemes and in the name of execution of things only on paper. This should be enquire into by the Committee that you are forming now. Mr. Zail Singh should take the lead in this matter. I believe, you will be a member of that Committee. I would like the Home Minister to be on the Committee. If you like, you can take your juniors also.

Then, Sir, in that memorandum it has been stated, therefore to get a picture of the Government, it may be asked to furnish the amounts utilised by the different departments under different heads of expenditure during March, 1980. Taking advantage of the situation. Government money is being plundered. Then, Sir, expenditure incurred under the PIP scheme, Prevention of Infiltration of Pakistanis Scheme, this should also be gone into. The scheme was introduced by the Central Government in 1950 to prevent the Pakistani infiltration into Assam and an amount of rupees one crore was sanctioned to Assam Government to implement the scheme. But it is alleged that the high ranking police officials in charge of the scheme during different periods did not utilise the *tuni* properly but misappropriated

a huge amount. These are very responsible utterances. Most of the police officers connected with the scheme are involved in the agitation. I am not naming anybody. The names are also there and you can see.

Sir, the flood control measures are there but enough funds have not been given. Assam suffers from floods. You note the amounts; 1974-75—Rs. 95 lakhs (actually more was given, a round figure), 1975-76—Rs. 167 lakhs. 1976-77—Rs. 184 lakhs. 1977-78—Rs. 371 lakhs. 1978-79—Rs. 400 lakhs. But that is not, they say, adequate for meeting the magnitude of the floods from which Assam suffers. Go into these questions.

Improvement of the railway communications in Assam is very essential. Assam is the State with poor railway communications system in the country. (*Time bell rings*). Out of 2088.43 kilometres—these are unprovocative utterances—in the State only 105.22 kilometres have been converted into the broadgauge line. Now we are taking over and we can go into these questions. Our proposal to the Centre is—the memorandum says—extension of the branch line up to Tinsukia railway junction, extension of the branch line from Jogipara to Gauhati. Sir, these are the things. (*Time bell rings*).

Sir, I am on my last point. It has been said, the Assembly passed unanimously—we all together—a resolution "The Assembly resolved that the Government of Assam move the Government of India to take steps for nationalisation of the foreign oil company and share the operations in Assam," but no action was taken. Another resolution says: "This House, Assembly, Legislative Assembly, recommends to the State Government to move the Government of India to establish the third oil refinery in the area as near as possible to the oil fields in Assam". Now I need not go into the other figures which are given.

Now, about the economic development, I think the committee should consider. But, at the moment, as I speak, what comes to my mind is the agitation and the situation created by the foreign hands behind it. Therefore, I do not know—I happen to be a Bangali—how my Assamese friends take me. I do not know. I am not speaking as a Bengali. I am speaking as an Indian. I am speaking as a patriot. I am speaking as a brother of Assamese, a well-wisher of the Assamese. I am proud of Assamese culture, of the Assamese art, of many things in Assam. Assam's contribution to our freedom struggle is glorious. May I not have the right, the moral right, to appeal to the students, to young and old, and the other agitators to call off the agitation? Why should they not trust us? Trust not me, or that party or this party, let them trust all of us in Parliament, all the parties. We shall sit together because we are loyal to the unity of the country. We stand for the well-being of Assam. We want Assam prosperity and a solution of the problem of foreigners as has been suggested in the statement regarding our meeting with the Prime Minister. Some of my friends want to make it as if it is an issue between the Government and the Opposition. That is exactly not the way to solve it. Here I say many of our friends—all of them—would like to see the Assam problem solved; all of us would like to see the Assam problem solved. Why can't we then think of a common ground? Why should the students and others not believe in this great Parliament and all the parties? This is all I say.

Sir, you are forming a committee of 45 members. Mrs. Alva has spoken about it, that whenever the Governor thinks, he will consult the committee. We are not charity boys. These 45 Members of Parliament—most of them belonging to your party—are not charity boys, or charity girls, if you like, because I see two ladies are looking at me. Therefore, Sir, in all matters there should be consultation.

I want to sit with them; they would like to sit with me, with all of us, exchange our views and see how we can help in bringing about a solution, an immediate solution to the problem and bring the matter to the negotiating table.

By having agitations and also by having repressive measures, we cannot have a solution. Neither the agitations nor the repressive measures are going to solve the foreigners issue. And then we can discuss how to identify the foreigners, what to do with them. These things we can discuss simultaneously and take measures in this Parliament or in the committee that you have to form. We can ask the President to legislate for the well-being of Assam on some economic measures, social measures and also solve the unemployment problem there. We can do that. This will be a constructive approach and I think this is all that we can do.

And, Sir, before I sit down, I must say that Assam is a part of India. Well-being of Assam is inter-woven with the well-being of India, with the rest of the country, and Assam is our flesh and blood. Assamese leaders in the agitation must realise this. How can we overlook their legitimate grievances? They should also understand ours. How can we ignore the unity of the country or forget the fact that foreigners and other such forces, communal and other separatist forces are active on the scene? Therefore, let the committee be called to go into this problem. There are two things; immediate solution of the problem and improvement of the conditions and development of Assam. We will not be lacking in wisdom, courage and vision, intellect and genius in solving the problem however difficult this may seem for the time being, thereby defeating the game of the separatists and secessionists on the one hand and on the other, their patrons in the foreign countries who are supplying them arms, money and training with a view of destabilising the region to the ruin of our great nation.

श्री कल्पनाश राय : उपसभाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी जो यह प्रस्ताव लाये हैं मैं उसका समर्थन करता हूँ। उपसभाध्यक्ष महोदय, हमने संविधान की कसम पार्लियामेंट में आकर खाई थी कि हम भारत की सार्वभौमिकता और एकता की रक्षा के लिये कार्य करेंगे। आज हिन्दुस्तान की आजादी और हिन्दुस्तान की एकता खतरे में पड़ गई है। जितने दिन भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 14 जनवरी, 1980 को भारत के प्रधान मंत्रित्व के पद की शपथ ली उस समय हिन्दुस्तान के सामने अरब की समस्या तीन महीने पहले से खड़ी थी उस समय कम्पूचिया का प्रश्न हमारे सामने था। पिछले चुनावों के वक्त अफगानिस्तान का प्रश्न हमारे सामने था। जनता पार्टी की सरकार ने किसी भी समस्या को हल नहीं किया था। हमारी सरकार ने कम्पूचिया की सरकार को मान्यता देकर एक बहुत बड़ा काम किया है और दुनिया की जनवादी जनता ने इस पर बहुत बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, अफगानिस्तान की समस्या को जिस ढंग से हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ट्रेकल किया है उसका दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। इसी सवाल पर श्री बी.पी. माव्य ने हमारी पार्टी छोड़ी थी। हमारी नेता ने अफगानिस्तान की समस्या को भी हल करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन कुछ राष्ट्रवादी और जनवादी लोग हिन्दुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। आसाम की समस्या को हल करना नहीं चाहते हैं। हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी देश भक्त और राष्ट्रीय ताकतों को साथ लेकर इस सवाल को हल करना चाहती हैं। लेकिन विरोधी दलों के लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमारी प्रतिज्ञा भी उसी प्रकार की है जैसी अर्जुन की थी— अर्जुनस्य प्रतिज्ञे ई, न दैन्य, न पलायन।

Those who will test our courage, will find us strong.

Those who will seek our friendship, will find it unravelled.

इस बिल का क्या अर्थ है —

Let us be ready for the confrontation of struggle and for the limitation of struggle. हमने घोषित किया

है कि हम देश की जनता की रक्षा करेंगे। आज सवाल यह है कि देश की एकता को कैसे कायम किया जाय। देश के अन्दर जो अराजकतावादी शक्तियाँ सिर उठा रही हैं उनको किस प्रकार से शांत किया जाय। हिन्दुस्तान के अन्दर जब चुनाव हुए थे तो हमने नारा दिया था कि 'देश बचाओ, इंदिरा को लाओ'। हिन्दुस्तान की जनता की एकता को पिछली सरकार के कार्यों के कारण खतरा पैदा हो गया था। इस देश की जनता ने बुद्धिमानी से काम लेकर हमारी पार्टी को सत्ता-रुढ़ किया। आज देश के अन्दर जो जनवादी और राष्ट्रवादी आन्दोलन चल रहे हैं उनको रोकना बहुत जरूरी हो गया है। आज प्रतिक्रियावादी ताकतें कम्पूचिया की सरकार को मान्यता दिये जाने के खिलाफ हैं और उसका विरोध कर रही हैं। अफगानिस्तान के सवाल पर अमेरिका सांठगांठ कर रहा है। मैं इस विधेयक के विषय में अधिक बातें नहीं कहना चाहता हूँ। केवल गृह मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि इस आसाम के आन्दोलन के पीछे अमेरिका की कांसपिरेसी है। वहां पर जो विदेशी मशीनरीज हैं उनका इसमें हाथ है। क्या कारण है कि हिन्दुस्तान की सीमाओं पर सब प्रकार की चौकसी होते हुए भी कुछ लोग बंगला देश से आसाम में घुस जाते हैं। जनवादी ताकत हमारे राष्ट्र के खिलाफ काम कर रही हैं। बर्मा की और बंगलादेश की सीमा पर सख्त चौकसी करने की जरूरत है। बंगलादेश और बर्मा के बार्डर पर राष्ट्रवादी लोगों को ट्रेनिंग दी है, गोरेला ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि भारत की सीमाओं पर और खास तौर पर बर्मा और बंगलादेश की सीमाओं पर चौकसी में सख्ती की जानी चाहिए। पिछले 30 वर्षों

से हम चीकसो नहीं कर पाये हैं। यही कारण है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को विदेशों में सही मिलती रही और हमारे देश में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई।

श्रीमान्, मैं यह कहना चाहता हूँ कि समस्त नाथ एडिस्टन रिया में जनघाती और राष्ट्र विरोधी ताकतों पर पूरी नियंत्रणी रखनी चाहिए। इसके साथ-साथ उस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विकास के ठोस और समय-बद्ध

8 PM

कार्यक्रम बनाये जाने चाहिए। प्लानिंग कमिशन को और से कुछ एकात्मिक मेजर्स, पैकेज डील एनाउन्स करने चाहिए। ताकि यह इलाका डेवलप हो सके, पंजाब और हरियाणा की तरह, और वहाँ पर जन-घाती और राष्ट्र-घाती ताकत को सर उठाने का मौका न मिले। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों के साथ गृह मंत्री जी के इस बिल का समर्थन करता हूँ और चाहता हूँ कि श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथों को मजबूत बनाकर राष्ट्र-घाती ताकतों को रोका जाय।

SHRI AJIT KUMAR SHARMA

(Assam); Sir, I rise to oppose this Bill introduced by the hon. Home Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA); You have to be brief.

SHRI AJIT KUMAR SHARMA; Now as a Member of this House and also a member coming from Assam I have been listening to the various speeches given by hon'bie Members. Sir, for the last two years we have been discussing various aspects of the problem of Assam. After listening to the debate on this particular issue, as a member from Assam, I feel that hon. Members, in spite of all the debates, are not taking the problem as they should have taken it. There is a lot of prejudice and they suffer from a kind of ignorance of the basic issue involved in this whole agitation. It is very easy to blame the Assamese

people as fighting against the Indians or against any other people in the State, but let me put it that it was these Assamese people who fought, started agitation and went to jail—and for what purpose? Not for anything else, but to remain in India. After the long struggle of independence for which the people of Assam contributed very largely, when independence came, they were being thrown out to Pakistan. And it was these people, against the wishes of many of the national leaders, who wanted to remain in India and they had to go to Gandhiji. And it was the Gandhiji's blessing with which ultimately they succeeded in remaining in India. So, I am not prepared to listen to any speech by any of the hon'bie Members when they say that the Assamese people are anti-Indians, that they are secessionists. I have heard hon'bie Member Madni, Dr. Zakaria. It is a painful duty on my part to say that when they say things like that and claim to be nationalists, they were speaking as Muslim leaders and not as Indians. When I listened to Prof. Chattopadhyaya, when he was reading out a circular without any authenticity, he was not speaking as an Indian, he was speaking as a Bengali.

SOME HON. MEMBERS: No, no.

SHRI AJIT KUMAR SHARMA; No, Sir. This is my reading of the whole situation here. Now, Sir, just a few minutes back we have passed a black Bill which has been imposed on the House and on the people, in spite of opposition from the entire Opposition groups. This is another Bill which is the blackest of all the legislations. Of course, I must tell the hon. Home Minister that no black legislation will ever be successful in suppressing the people of Assam. Let me tell vary frankly that since last April Assam has been put under an undeclared emergency. The Disturbed Area Act is there, the Armed Forces (Special Powers) Act is there. The Preventive Detention Ordinance is there.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): Please ton-elude.

SHRI AJIT KUMAR SHARMA: Please give me a few minutes more. The Essential Services Maintenance Bill that we have just now passed has been there since April. AH these Acts are there. In spite of that, the people have unanimously, with one voice rejected all these legislations. The Government has not been able to enforce any of them. Sir, let us remember that ultimately the la'w does not depend on the force of the Government. It must also receive the consent of the people. When it loses hundred per cent consent, no law can function, no Govern-met can impose a law.

Let me tell the Home Minister that unless you solve the basic issue, no amount of law will help you in running the administration. It is all useless to accuse that the Government officials and everybody are in the movement. It is because of the cause that there is mass participation in the movement. Nobody has forced them to do that. They have voluntarily come and joined the movement. Now if you will not solve the basic issue there will be no end to the turmoil why is this political instability there in the State. Why was there the necessity for a Presidential administration? Assam was the only State where for long 33 years there was no Presidential rule. The basic cause is the foreign nationals issue. On that very issue, the Janata Government fell and then the succes sor Government of Mr. Hazarika also fell on the; same issue. Unless and until you solve that issue, you cannot form any other Government in the State. The first and foremost duty of the Government is to solve that basic problem and not to divert attention to other things in the name of protection of minorities. I would like to tell the Home Minister, first of all let them keep the promise which they gave to the leaders of the movement in February last. Work

out the details, sit down on the negotiating table and solve the problem.

Yesterday also the Prime Minister's representatives had been to Gauhati. They have been discussing with the Governor, with the students also and they are negotiating. They lave agreed that they would withdraw ali repressive measures. But today in this House the same Government is introducing another Bill which is more repressive than any other. May I ask the Government whether the students will believe those people who are acting on behalf of the Prime Minister at Gauhati, or they will distrust the Government for getting the laws passed by this august House or by Parliament? This kind of double talk and diabolical game by the Government must stop.

Sir, I do not want to be ve on these issues. We have already discussed a lot of things. What I would like to impress upon the hon. Home Minister is that this kind of authoritarian tendencies to curb, suppress and cow down the people will ultimately boomerang on the Government and on the whole nation and the people of Assam will be the last persons to surrender before such oppressive laws. They have already registered this protest for many months and they will do it to the last.

My hon. friend, Panditji, referred to Ganchhiji's teachings

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): Mr. Sharma, there is one more Member who is going to speak.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SITA RAM KESRI): The time has been exhausted.

SHRI AJIT KUMAR SHARMA: Even in 1946-47, it was Gandhiji who told the people of Assam to start a *satyagraha*. Today to protect themselves from foreign nationals, they have started a *satyagraha* and it has

become the people's movement and unless you solve the basic issue, unless you are prepared to drive out the foreigners, to detect them, there will be no other solution and the Government shall not succeed in establishing peace. I, therefore, ask the hon. Home Minister to first of all make a declaration in this House, while replying to the debate, as to when he is going to start negotiations with the leaders of the movement and when he is going to withdraw the repressive measures. If he makes this declaration, that will convince the people of Assam and leaders of the movement and they will come for negotiations. It is only by negotiations that you can have a peace and only after a settlement can you have stable politics in the State and also, of course, a stable Government. Now I think the Home Minister will attend to this which is the first necessity on the part of the Government, the first essential thing that the Government must do. Thank you, Sir.

SHRI AMARPROSAD CHAKRABORTY (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I have no mind to tax the patience of the House because now it is past eight, but the problem of disintegration which has been generated by the Assam movement is so serious that I have to say something. There is no doubt about the seriousness of the problem but, still, when we hear somebody saying that there is no movement of secession and that it is only a non-violent movement, it amuses us because, only the other day at the all party leaders' conference the Prime Minister was pleased to say that it is a movement of secession. She has received documents and it is a movement leading to disintegration of the country. So, this problem requires some solution. But while trying to find a solution, we are afraid of this sort of laws. This sort of laws may create some sort of mistrust among the people. So I would appeal to the Government: Let all the Opposition and the Government sit together and come to a solution so that they can settle the situation amicably.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): Please conclude.

SHRI AMARPROSAD CHAKRABORTY: But one thing we must remember, Mr. Vice-Chairman, Sir, is that the movement has not been nonviolent. It is a violent movement.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): Please take into consideration the mood of the House also.

SHRI AMARPROSAD CHAKRABORTY: I have not yet completed my sentence, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): Please complete.

SHRI AMARPROSAD CHAKRABORTY: Because, once this movement started, people were slaughtered. Recently hundreds of people were slaughtered. But still we feel that there are some reasons for their agitation, like lack of economic development and some other reasons. But disintegration on the issue of foreign nationals is baseless because, after the Nehru-Liaquat pact and after the Indira-Mujib agreement, there is no scope for raising this question. If there are foreign nationals who came after 1971, then let there be a legal procedure followed. There are Statutes. Assam is not independent to set up its own tribunals to determine as to who are nationals and who are foreigners. But they are pursuing this policy. Still, Sir, I would appeal to the Government—and from all the Left parties we also make an appeal—and the Prime Minister is also making appeals—that there should be an amicable solution, though we feel this may not serve the purpose. But still the Government has expressed an opinion to form a committee. The committee must be a representative one and let us try to find a solution amicably. But in no case should the secessionist policy and the policy of disintegration as pursued by the

[Shri Amarprosad Chakraborty]
people of the movement be allowed to
go any further.

With these words, Sir, I conclude.

श्रीमती जेल सिंह : उपन्यास्यक जी, इस बिल में सशस्त्र नौकाफी चर्चा हो चुकी है। मैं आनरेबल मेम्बर साहबान का बहुत मध्दूर हूँ कि उन्होंने अपने विचार खुल कर दिए और कुछ मेम्बर साहबान ने यह भी कहा कि पार्टी की नीतियों को छाड़ कर ऊपर उठना चाहिए और कुछ से यह कहने में आद पार्टी की नीति को ही सामने रखा। ता मैं ज्यादा समय हाऊस का लेना नहीं चाहता। तीन-चार महत्वपूर्ण मवाल मेरे सामने आए हैं।

एक मेम्बर ने यह राजूश इन्दिरा सरकार के अन्दर देश में हड़दुड़ न हो जाए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मार्क्स उन्हें क्यो किए। वे इस बात का मूल नए कि इन्दिरा गांधी की हो सरकार का जितने पाकिस्तान के टुकड़े तो करवा दिए लेकिन हिन्दुस्तान का मजबूत बनाया और जितने साथ सगने वाला इलाका जहां पर कुछ विरोधी जाजिसे कर रहे थे, लिक्किम जैसा प्रांत को भारत में शामिल करवाया। ता इस में वाद फिर ऐसीशंका पैदा करना, यह उचित नहीं।

एक आनरेबल मेम्बर ने कहा था कि यह बार ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रपति को तमाम अधिकार दिए जा रहे हैं। ता यह पहला बार नहीं हुआ। यह अब से पहल 21 बार हुआ है। सन् 1956 से लेकर 1976 तक 21 बार यह अधिकार राष्ट्रपति को पालियामेंट की तरफ से दिया गया है। इसलिए यह कोई नई बात नहीं है।

कुछ मेम्बर साहबान ने कहा कि यह डेमोक्रेसी का धातक है। डिस्टेंटराना अखिउवार लिए जा रहे हैं, आथरिटेरियन टेडेंसी बढ़ती जा रही है। मैं इस बारे में साफ कर देना चाहता हूँ कि यह विधेयक भारत में संविधान के अन्तर्गत है और यह असम की जनता के लिए रक्षक के रूप में बनाया जा रहा है और

जमहूरियत में हुनरे ल कः बरकरार रखने के लिए बनाया जा रहा है। आप से मैं कहना चाहता हूँ कि एक मेम्बर ने कहा था कि असम में ऊपर हम 2 माल से चर्चा कर रहे हैं। 2 माल से ही नहीं, बहुत बार हुई। मगर वर्तमान प्रादोलन 9 महीने से चल रहा है और इस 9 महीने में अन्दर कई बार नेगोिएशन हुए और अब भी हमारा, भारत सरकार का, दरवाजा खुला है। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत से सारी बात को निपटा जाए। अब तक भारत सरकार ने आग्रहता लिए भी यही इरादा रखा है, पेरेंटल ट्रेटमेंट किया है और यह जो भारत सरकार का मन्शा है और थी वह यही है कि असम में लान, भारत में लान, सब मिल कर रहने के और उन में कई वाधान पड़े। आप इस बात से इतिफाक करेंगे कि असम में इस आंदोलन की वजह से तमाम तरक्की के काम रुक पड़े हैं। वहां कोई नयी इंडस्ट्री, नयी मड़क, नयी बिल्डिंग नहीं बन रही है। वहां एजु शनल इदारे सब बन्द पड़ी है, वहां रिफायनरीज बंद पड़ी है और आवाजायी के जो साधन हैं उनको भी बन्द बिया जा रहा है। इस बात का भी छाड़ दोजिए लेकिन असम में अन्दर 39 फौजदारी करीब वह लोग हैं जिनको माइनागिटी कह लीजिए, पुराने जमाने के कहीं बंगाली कह लीजिए, बंगला-भाषी कह लीजिए जो आज आसामी भाषा को भी जानते हैं। उनको मुहनडन कह लीजिए—देश के बंटवारे के समय जो भारत में आए उनको हिन्दुस्तान ने सम्भाला, अंग बनाया, उनका नाम कुछ भी रख लीजिए। वे सब में सब इतने मजबूर हैं कि वे अपनी आवाज तक नहीं उठा सकते। एक बार माइनागिटी स्टूडेंट ने अपना जलूस निकाला, एक मेमारेडम तैयार किया, लेकिन वह मेमारेडम देने से उन को रोका गया। जिस अफसर ने मेमारेडम लिया उसको पीटा गया। उस आलावा उन पर गोली भी चलायी गयी। वे डरते-डरते मारे भी गये। अब भी व डरते-डरते बहुत मुश्किल से दिल्ली पहुंचते हैं। जिस मेम्बर का इस बात में शंका

हो मैं उन का मेमोरेण्डम दे सकता हूँ कि उनकी क्या हालत है। इन अलावा ट्राइबल पर्सन भी हैं। ट्राइबल पर्सन जितने हैं वे इस आन्दोलन में साथ ही नहीं हैं। वे खुशी हैं। एसेटी गार्डन है जहाँ 80 हजार का करीब काम करने वाले लोग मौजूद हैं। वहाँ हर प्रकार का लोग है। जैसा पांडे जी ने कहा अपने भाषण में पंजाब की कल्चर, कम्पोजिट कल्चर रही है।

एक माननीय सदस्य : आराम।

श्री जैल सिंह : हाँ, आराम। पंजाब का भी कम्पोजिट कल्चर है, उत्तर प्रदेश का भी कम्पोजिट कल्चर है और इसी तरह से हिन्दुस्तान की उन्नति हो सकती है। तमाम हिन्दुस्तान का कम्पोजिट कल्चर है।

SHRI BHUPESH GUPTA: Everything has a composite culture now including the Cabinet of India.

श्री जैल सिंह : पंजाब ना हिन्दुस्तान का हिस्सा है। मैं अगर पंजाब आराम लिया तो पंजाब हिन्दुस्तान का ही—एक हिस्सा है। तो स्लिप आफ्टर भी हो सकती है न भैया। मैंने उन राज भी कहा था, मेरे कोई हस्त का बात है—मनुष्य लिखते हैं, वो दगा पड़ते रहे, एक हस्त नुस्खे ने मरहम से मुजरिम बना दिया।

खैर, हम जो बात कह रहे थे। वह यह कि यह कहना कि आसाम की जनता पर जब हो रहा है बिल्कुल गलत बात है। आसाम के लोगों पर जब की बात नहीं है। वहाँ के लोगों की स्वतंत्रता वहाँ के लोगों की आजादी, वहाँ के लोगों के अमन और शान्ति के लिए गारन्टी करने के लिए यह हो रहा है।

एक आनरेबल मेम्बर ने कहा कि रिप्रेसिव मेजर्स लिए जा रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है। हम ने अब तक जो कुछ किया उसमें जो आफ फोर्स तो हुआ, लेकिन यूज आफ फोर्स नहीं हुआ। जो आफ फोर्स क्यों किया गया? इस लिए कि कहीं त्रिपुरा की तरह

के हालात वहाँ पैदा न हो जायें। इस तरह की बातों को रोकने के लिए हम ने जितने भी उपाय किये हैं उनके साथ यह भी उपाय है। इस बिल के पास होने से, प्रेसिडेंट को अधिकार देने से नीमोनिअन्स में कोई बाधा नहीं पड़ती।

मुझे बहुत खुशी है कि सी० पी० आई० ग्रुप के नेता भूपेश गुप्त जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया और उस भाषण में सब को उन्होंने हिदायत की, सब को उन्होंने एडवाइस किया कि शान्ति से, अमन से, बड़ी फराकदिली से बातचीत करनी चाहिए, इमीडिएट सोल्यूशन निकालना चाहिए। यह बात सिद्धान्त रूप में बहुत अच्छी बात है। लेकिन, उपसभाध्यक्ष जी मे प्रार्थना करूंगा आनरेबल मेम्बर साहबान से कि आप ही बता दीजिए कि कौन सा सोल्यूशन है। हम उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं, वही सोल्यूशन निकालने के लिए तैयार हैं। हमारी सात-सात घंटे मीटिंग होती रहीं। मैं अब भी कहता हूँ कि मुझे स्टूडेंट्स पर, उनके आर्गनाइजेशन पर कोई शुबहा नहीं, मुझे कोई शक नहीं मैं समझता हूँ कि वे ईमानदारी से यही चाहते हैं कि जो विदेशी हैं वे निकल जायें और उनको बोट का हक न रहे ताकि वहाँ के जो पुराने लोग हैं वे कहीं माइनारिटी में न आ जायें, उनकी कल्चर, उनके रस्मोरिवाज, उनकी जिन्दगी, उनकी वे आफ लाइफ में बाधा न पड़े। हम उनके सेटीमेंट्स को समझ सकते हैं लेकिन इस आंदोलन की तह में आप जायेंगे तो असल बात यह है कि स्टूडेंट्स के हाथ में सिर्फ स्लोगन लगाना, पिकेटिंग करना, जलूस निकालना और जलसे करना ही है। बाकी लिटरेचर कहां तैयार होता है, उस लिटरेचर के पीछे कौन खर्च करता है और उस एजीटेशन को जारी रखने के लिये और बात चीत को हर वक्त तोड़ने के लिये कौन सी शक्तियाँ हैं और बात चीत क्यों तोड़ी जाती है, लिटरेचर किस किस का वहाँ तकसीम होता है जिससे वहाँ के और बाकी

[ज्ञानी जेल सिंह]

हिन्दुस्तान के लोगों पर, भारत सरकार पर और उन लोगों के मन में बुरा असर पड़े और इस आंदोलन को चलाने का मतलब क्या है यह वे नहीं जानते, नहीं बता सकते, लेकिन मैं इतनी बात बिना खीफो तरद्द के कह सकता हूँ कि इस आंदोलन से फायदा उठाने के लिये कुछ ताकतें हैं जो हिन्दुस्तान को परेशान करना चाहती हैं और अगर हम ने गिद्ध दृष्टि से इसको नहीं देखा तो यह आंदोलन भयंकर रूप धारण कर सकता है और हम नहीं चाहते कि एक भी कतरा खून का हमारे भाइयों का या किसी भी इंसान का गिरे और उसके लिये हम बड़ी से बड़ी बात करने को तैयार हैं और ज्यादा से ज्यादा झुकने के लिये तैयार हैं, लेकिन आप को इस बात का अहसास होना चाहिए कि जिन बुनियादों पर, जिन बातों पर आंदोलन चला भारत सरकार ने उन सब बातों को इन प्रिंसिपल मान लिया है। मैं दोहराना नहीं चाहता, हाउस की प्रोसीडिंग्स में है कि उनकी डिमांड्स क्या थीं और उन पर भारत सरकार ने क्या किया। मगर आंदोलन सिर्फ आंदोलन के लिये हो रहा है। आंदोलन किसी निशाने के लिये नहीं हो रहा है। इसलिये मुझे आशा है कि आज भी मेम्बरों की तबरीरों को सुन कर आंशु वाले फिर गौर करेंगे कि उनके पीछे कौन है। जो बातचीत करने के बाद फैसले कर दिये जाते हैं और फिर वे उन फैसलों पर कायम नहीं रहते और कायम नहीं रहने दिये जाते। वह लोग कौन हैं। जिस रोज स्टूडेंट्स को पता चल गया कि उनके जज्बात और उनकी हिम्मत के साथ मजाक किया जा रहा है, उनसे खेला जा रहा है तो वह उसी दिन उनको छोड़ देंगे। मगर हमने इस मसले को कभी पार्टी का नहीं, कभी सरकार का भी नहीं माना। हमने हमेशा यह कहा है कि यह एक नेशनल ईश्यू है और इस नेशनल ईश्यू में छोटी से छोटी पार्टी के नेता हर ब्याल के हिन्दुस्तानी को हम साथ लेकर चलना चाहते हैं, उसका इत्तफाक और उसका

कोआपरेशन लेकर हम चलना चाहते हैं। प्रधान मंत्री जी ने इसी ईश्यू पर दो, तीन बार आल पार्टीज मीटिंग बुलायी और असम की आल पार्टीज मीटिंग में भी हमने बातें की लेकिन इस के बावजूद कोई रास्ता निकला नहीं अभी तक। फिर भी हम निराश नहीं हैं। हमारे एक मेम्बर साहब ने कहा था कि वहाँ उनका स्टेटमेंट पड़ा है कि वह बातचीत करने के लिये तैयार हैं। सरकार तो हमेशा अपने दरवाजे खुले रखती है। हमें बातचीत करने के लिये आज कह रहे हैं तो आज हम बात करने के लिये तैयार हैं, हमें कोई दरेश नहीं है लेकिन एक बात जरूर आप को माननी पड़ेगी कि जिस तरीके से वहाँ आंदोलन हो रहा है अगर वह आंदोलन चलता ही रहे तो बातचीत का क्या मतलब निकलेगा। हम ने तो चाहा था कि विदेशियों को निकालने के लिये जो सबको मंजूर हो ऐसी मशीनरी तैयार करें और वह मशीनरी अपना काम शुरू कर दे। प्रधान मंत्री ने गौहाटी जाकर भी कहा था कि 1971 की बात छोड़िये, 1971 से हम शुरू करें, स्टार्ट कर दें ताकि इस प्राबलम की बुराइयों और अच्छाइयों और उलझनों को हम देख सकें, वे हमारे सामने आ सकें। हमने यह भी कहा कि भारत के विधान के मुताबिक जो भी विदेशी हैं उनको निकालेंगे, लेकिन साथ-साथ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो भारत की परम्परा चली आती है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उनको भी देखना पड़ेगा और आप जानते हैं कि इंडियन सिटीजनशिप ऐक्ट के मुताबिक जो माता-पिता विदेशी हों और भारत में रहते हों, उनके बच्चे पैदा हो जायें, जब तक कि वे नहीं कहते कि हम विदेशी हैं, वह आटोमैटिकली हिन्दुस्तान के सिटीजन बन जाते हैं। मान लीजिए, कुछ अनजान लोग मुसीबत की वजह से यहां आये या किसी और कारण से भारत में आ गये और 33 साल के बाद उनके बेटे हुए, उनके ग्रांड सन भी हो गये होंगे तो वह भारत के सिटीजन तो बन गये। इन बातों

को भी देखना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि स्टूडेंट ही नहीं, तमाम ऐजिटेड्स इस भावना को देखें कि भारत सरकार बार्डर को बहुत मजबूरी में स्थापित करना चाहती है। तकरीबन पहले से दुगुनी फॉर्म वहां बार्डर पर लगाई गई है, और भी लगाने की जरूरत पड़ेगी तो लगायेंगे। डिटेक्शन के लिए मशीनरी तैयार पड़ी है और हम काम करना चाहते हैं। वोटर लिस्टों में विदेशियों के नाम काटने के लिए भारत सरकार ने माना है। उन्होंने पूछा था कि वोटरों की सूची जो देने उनका, हर एक वोटर का आईडेंटिटी कार्ड बनना चाहिए, उसका फोटो होना चाहिए, यह भी भारत सरकार मानती है कि यह होना चाहिए और करेंगे, करने के लिए तैयार हैं। कोई ऐसा पहलू नहीं रह जाता सिवाय एक बात के कि वह कहते हैं कि 1951 से जितने भी लोग आये हैं उनको निकालने के लिए भारत सरकार वायदा कर ले। अब यह वादा अकेली भारत सरकार नहीं कर सकती। हमने विरोधी पार्टियों के साथ बात की है तो किसी भी मेम्बर ने जो आज इस बिल का विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं, मैं उनकी नीयत पर शक नहीं करता, लेकिन उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप 1951 के लिए तैयार हैं? क्या आप इस बात के लिए जोर नहीं देते रहे कि 1971 से पीछे क्यों जाते हैं? क्या आप इस बात को मानते नहीं कि भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, हर प्रान्त में उनको रहने का हक है, हर आदमी को नार्थ ईस्टर्न रीजन में, हर शहरी को हिन्दुस्तान में जायदाद लेने का हक है, बसने का हक है। अगर इस उमूल को माना जाए तो फिर आप उनको ऐजुकेट करें और उनको समझाना पड़ेगा और हमको भी बात को समझाना पड़ेगा। लेकिन ये तमाम बातें जोर से, धोखे से, मजबूर करके नहीं कर सकते हैं। नेगोशियेशन, परमुवेशन से और तमाम लोगों के कोऑपरेशन से भारत सरकार हल करना चाहती है। इसलिए मैं आप से प्रार्थना करना

चाहता हूं कि इन बातों को ध्यान में रखकर हमको फैसला करना चाहिए।

एक मेम्बर ने कहा था कि आसाम अशान्त है। अगर भाई अशान्त है तो उसको शान्ति कैसे दी जा सकती है। समझाकर, बुझाकर, बात करके और अगर फिर भी न हो तो फिर इस बात के लिए तो इतिजाम करना पड़ेगा कि भाई भाई की गर्दन न काटने लग जाए, एक भाई दूसरे की गर्दन काटने लगेगा तो फिर उसका नतीजा क्या होगा? क्या आपने त्रिपुरा में देखा नहीं कि क्या हालात हो गये हैं। अगर भारत सरकार इस विधान के मुताबिक जो हमारे सामने पड़ा है, इस विधान को बनाने वालों ने यह क्यों प्राविजन रखा था कि प्रेसिडेंट रूल और प्रेसिडेंट रूल के बाद प्रेसिडेंट को पावर देने की जो भी यहां पर धारारें हैं तो वह उन्होंने इसीलिए रखी थीं कि कभी जरूरत पड़ सकती है इस जम्हूरियत को बचाने के लिए, कुछ तकत हमको चुने हुए लोगों के प्रतिनिधियों को देने पड़ेगी ताकि वह वक्त पर फैसला कर लें। मैंने दूसरे हाउस में भी प्रार्थना की थी और मुझे खुशी है कि वहां के मेम्बर साहेबान ने तकरीर तो की बरखिलाफ लेकिन बिल पास कर दिया। आज भी मैं आशा करता हूं कि तकरीर करना और बात है, तकरीर तो शायद भूपेश गुप्त जी ने भी यही की कि यह बिल नहीं होना चाहिये लेकिन बातें वहीं कहीं हैं जो मैं कहना चाहता हूं...

SHRI BHUPESH GUPTA: There is one point, you see, about what you have said. The only thing that I want you to do is to take a little more serious note of my intervention. I want to speak on the Third Reading. I Now, I have received information from a very reliable source. Home Ministerji, kindly note: Between November 12, 1979—this has come from Shillong—and June 9, 1980, in 12 instalments, together a sum of Rs. 10,12,185/- arrived in Shillong. This is the

[Shri Bhupesh Gupta]

rupee value Of the amount in dollars received by four different individuals supposedly connected with four different organisations including the Salvation Army. But it seems similar amounts have come to other men also. This is a very reliable information given to me by a person in Shillong. It is not only arms, but money also is coming. Just now I read it out to you. Now, Sir, I would like the Home Minister to dilate on this a little. A demand has been made that the missionaries be taken care of.

ज्ञानी जैल सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, यह उचित था कि पहले के सभी सवालों का जवाब दे देता। भूपेश गुप्त जी ने इस पर लाइट डालने के लिये कहा है। भूपेश गुप्त जी अगर दावत देते हैं, सारे हाउस को डिनर देते हैं तो मैं इन बातों पर लाइट अभी डाल सकता हूँ ...

उपसभाध्यक्ष (श्रीसवाईसिंहसिसोदिया) आपने बहुत माकूल जवाब दे दिया है।

ज्ञानी जैल सिंह : यह जो बात आप नोटिस में लाये है इसको मैं जरूर देखूंगा।

SHRI BHUPESH GUPTA: That will come in the proceedings.

ज्ञानी जैल सिंह : प्रोसीडिंग में आ गया है। अभी मैंडम आल्वा ने मेडन स्पीच की थी। वह बेचारी चली गई लेकिन उनकी बड़ी व्यूटिफुल स्पीच थी। उन्होंने एक हो सांस में दोनों बातें कह दीं। वह कहती हैं कि यह अलोकतंत्रीय बिल है और साथ ही कहती हैं कि वहां की विधान सभा को सरकार काम नहीं करने देती। वह बेचारी चली गई हैं, उस पार्टी के नेता अगर बैठे हों तो मैं उनसे विनती करता हूँ ...

एक माननीय सदस्य : बेचारी नहीं कहना चाहिये।

ज्ञानी जैल सिंह : बेचारी नहीं कहना चाहिये तो मैं वापस लेता हूँ।

SHRI BHUPESH GUPTA: I thought the Home Minister was always kind to women.

GIANI ZAIL SINGH: What do you say? मुने भूपेश गुप्त जी से इन्स्पिरेशन मिला। मेरा ख्याल था कि भूपेश गुप्त जी की सारी उम्र शादी नहीं हुई उनको क्या तुजुबा होगा लेकिन जब बल मैंने इनकी तकरीर सुनी तो मैंने समझा कि इनसे कुछ सीखना चाहिये।

फिर वह कहती हैं कि विधान सभा को काम करने नहीं दिया जाता। मैं कहता हूँ कि जाइये और विधान सभा को सजीव कराइये। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सी पार्टी है जो वहां बना सकती है। हमने तमाम पार्टियों को बुला कर इन्क्लुडिंग कांग्रेस (आई), कांग्रेस (यू), जनता और असम जनता जितनी भी पार्टियां हैं मुझे याद नहीं हैं कितनी पार्टियां हैं वे इकट्ठी होकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के लिये तैयार नहीं हैं। वे बना नहीं सकते हैं अकेली पार्टी की बात तो दूर। इस बात की आपको तारीफ करनी चाहिये कि अब भी हमने उस विधान सभा को भंग नहीं किया, सस्पेंड की पोजिशन में है ताकि फिर से जिंदा हो सके। हमने जमहूरियत का खात्मा नहीं किया बल्कि जमहूरियत को बचाने के लिये यह बिल हम यहां लाये हैं। मैं आज कांफिडेंस से कह सकता हूँ कि यह जो बिल है लोकतंत्र की प्रणाली को कायम रखने के लिये, डिस्पलिन को कायम रखने के लिये, लोगों की भलाई के लिये और प्रोडक्शन को चालू रखने के लिये, हिन्दुस्तान के उस प्रांत के ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के हित में यह बिल लाया गया है और मैं समझता हूँ कि जो लोग यह कहते हैं कि यह बिल मजदूरों के खिलाफ है वह बिल्कुल गलत है। जो लोग कहते हैं कि यह बिल लोकतंत्र के खिलाफ है, यह बिल्कुल गलत है। मैं चैलेन्ज करता हूँ कि जो लोग ऐसा

कहते हैं वे सुप्रीम कोर्ट में जायें, हाई कोर्ट में जायें और यह बतायें कि कैसे यह बिल लोकतंत्र के खिलाफ है । हमने लोकतंत्र की रक्षा के लिए सब कुछ किया है । हम इस देश में लोकतंत्र का ढांचा खड़ा करना चाहते हैं । क्या यही लोकतंत्र है कि वहां पर कुछ लोग कहें कि जो कुछ तुम्हारे पास है, हमको दे दो और अगर नहीं दोमे तो बुरी हालत कर दी जाएगी ? कोई दूसरा आदमी जुलूस नहीं निकाल सकता है । क्या यही लोकतंत्र है ? कुछ लोग रेडियो स्टेशन पर जा कर कहते हैं कि हमारी खबरें बाइकास्ट करो । अगर यही हालत रही तो आप खुद समझ सकते हैं कि उस इलाके में क्या स्थिति हो जाएगी । एक प्रोफेसर ने बम्बई में जा कर एक आर्टिकल निकाला और कहा कि यह आन्दोलन उचित नहीं है और इसको नहीं करना चाहिए । इस समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जाना चाहिए । उस प्रोफेसर को पकड़ कर पीटा गया । गोहाटी में एक औरत ने बताया कि उसकी दो नौजवान बेटियां थी । कुछ लोग आए और कहने लगे कि हमारे साथ चलो । उस औरत ने कहा कि हम तुम्हारे साथ इतफाक नहीं करते हैं । उनको भी मारा पीटा गया । कुछ सरकारी मुलाजिम उनके साथ हो गये । कुछ मुस्लिम और बंगाली सरकारी कर्मचारियों ने, जो हमें गोहाटी में मिले थे, हमें बताया कि उनकी इस आन्दोलन के साथ क्यों सिमपैथी है । उनका कहना था कि हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम इस आन्दोलन का साथ दे रहे हैं । वहां के विधान सभा के जो नेता हैं उनके खिलाफ भी बातें कही जाती हैं । क्या ये सारी बातें लोकतंत्र के हित में हैं ?

SHKI BHUPESH GUPTA: You have said enough, because now you are speaking as if you are in the Third Battle of Panipat...

(Interruptions')

शान्ति जल सिंह : श्रीमन्, हम श्री भूपेश गुप्त जी के बहुत मशकूर हैं । वे हम पर मेहरबानी करते रहे हैं । जिस रोज भी यहां बैठते हैं, उनके दर्शन होते रहते हैं । मुझे ऐसा लगता है कि मेम्बर साहब अब डिनर की तैयारी कर रहे हैं । डिनर का टाइम भी हो गया है । मैं ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता हूं । यद्यपि मेरे पास काफी मेटिरियल है । मैं यह महसूस करता हूं कि अब ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है । यह बिल आपके सामने है । आप इसको पास कीजिए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): The question is:

"That the Bill to confer on the President the power of the Legislature of the State of Assam to make laws, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): Now we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 (Conferment on the President of the power of the State Legislature to make laws.)

SHRI SHIVA CHANDRA JHA (Bihar): Sir, I beg to move:

"That at page 1, after line 20, the following further proviso be inserted, namely: —

'Provided further that the members to be nominated under the preceding proviso shall include all the members representing the State of Assam in the House of the People and the Council of

Bill. 1980

[Shri Shiva Chandra Jha].

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में आसाम की उपेक्षा होती रही है, जिसके कारण वहाँ पर आन्दोलन भी शुरू होते रहे हैं। अब भी जो रास्ता वहाँ की समस्याओं को हल करने के लिए निकाला जा रहा है, उसमें भी असम की काफी उपेक्षा हो रही है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय मेरी बातों को ध्यान से सुनें। आपने बताया है कि एक कमेटी होगी जिसमें 30 एम० पी० लोक सभा के होंगे और 15 एम० पी० राज्य सभा के होंगे। 45 सदस्यों की वह कमेटी होगी जिससे राष्ट्रपति सलाह-मशविरा करके कानून बनाएंगे। मेरा संशोधन है कि जितने भी आसाम के सदस्य हैं, वे सब इसमें रहें। यह कोई बहुत बड़ा संशोधन नहीं है। आप अपना दिमाग खोल कर रखें और मेरी बात पर अच्छी तरह से गौर करें।

श्रीमन्, आसाम के इस सदन में सात सदस्य हैं। चारों तरफ से मिला कर सात सदस्य हैं। य उसमें रहें, जरूर रहें और बाकि आठ सदस्य दूसरे लें और इसमें इनक्लूड करें। इसी तरह से लोक सभा के तीस सदस्य लेने हैं। अभी लोक सभा में आसाम के दो सदस्य हैं। 10-12 और चुने जाने हैं तो अभी आपको दो ही सदस्य लेने होंगे। तो इस तरह सात मेम्बर राज्य सभा से और दो मेम्बर लोकसभा से, जो कि आसाम के हैं वे जरूर रहें। मेरा कहना है कि जो 45 आदमियों की कमेटी बना रहे हैं उसमें...

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : बहुत हो गया। आप तो इन्ट समझ में आ गया।

श्री शिव चन्द्र झा : उपसभाध्यक्ष महोदय, संशोधन यही है कि क्लॉज 3 में जहाँ खत्म होता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री शिव चन्द्र झा : मेरा जो यह संशोधन है इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए न आपको कानून मंत्रालय कुछ कहेगा। विधि मंत्रालय हमको क्या कहेगा, इस तरह की कोई बात नहीं है। यह बहुत इनोकुअस है इसमें आपका रास्ता प्रशस्त होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि यह संशोधन आप मान लें।

The question was proposed.

जान। जेल सिंह : इसमें राज्य सभा के जो 15 मेम्बर लेने हैं उनको चेयरमैन राज्य सभा नामिनेट करेंगे। तो मैं आनरबल मेम्बर से कहूंगा कि इसके लिए वे चेयरमैन राज्य सभा से मिल कर अपने मुझाव उनको दे दें। इसमें यह देने की जरूरत नहीं है। मुझे खुशी है कि आपने बाकी बिल की तारीफ की है। इसलिए मेरा कहना है कि इस संशोधन को वापस ले लिया जाय, मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता।

श्री शिव चन्द्र झा : आश्वासन तो दे दें...

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): The question is:

"That at page 1, after line 20, the following further proviso be inserted, namely:—

'Provided further that the members to be nominated under the preceding proviso shall include all the members representing the State of Assam in the House of the People and the Council of States'.

The nose have it.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: The ayes have it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): The noes have it. It is quite clear.

SHRI SIVA CHANDRA JHA: I insist on division.

SHRI BHUPESH GUPTA: I would request him not to press for division. If you look at the benches, they are empty.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: This is a very innocuous amendment. If the division is not permitted, I leave the chamber.

(At this stage, the hon'ble Member left the Chamber)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): The question is:

"This at page 1, after line 20, the following further proviso be inserted, namely:—

'Provided further that the members to be nominated under the preceding proviso shall include all the members representing the State of Assam in the House of the People and the Council of States.' "

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): The question is:

"That Clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted. Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1, the tacking Formula and the Title were added to the Bill.

GANI ZAIL SINGH: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed." *The question was proposed.*

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, only one thing I say. He suggested that the Members from Assam should be included. We have not been given any names. Let the Minister consider this thing. Why he has walked out, I not know. This is not an issue to divide the House. I would appeal the hon. Minister to include all the Members from Assam in the Committee.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): Now, I would like to know the wish of the House regarding the items which are on the Agenda.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, can pass the Viava-Bharati Bill in one minute. And a discussion is necessary.

SOME HON. MEMBERS: No; no. We adjourn now.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): The House stands adjourned sine die.

The House then adjourned *sine die* at fifty-one minutes past eight of the clock.